



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

318

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ग) के अन्तर्गत गौणत तम संपत्ति की संरक्षित तथा कार्यपरिपद की बैठक दिनांक 30.11.2010 के मद संख्या 10/26 पर लिखे गये निर्णयानुसार डॉ० (श्रीमती) वीना पाण्डे, द्वारा श्री जी० एस० पाण्डे, एडिशनल एस० पी०, पुलिस संचार (कुमाऊँ) रेन्ज, पुलिस लाईन्स, तल्लीताल, नैनीताल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एसोसिएट प्रोफेसर (सामान्य) बायोटेक्नोलॉजी के पद पर वेतन बैंड 4, वेतनमान 37,400-67,000 + 9000 एंड जी० पी० में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के भीमताल परिसर, भीमताल (नैनीताल) में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डॉ० पाण्डे को एसोसिएट प्रोफेसर, बायोटेक्नोलॉजी के पद पर उक्त वेतनमान का प्रारम्भिक स्तर तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डॉ० पाण्डे को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डॉ० पाण्डे को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ० पाण्डे को कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

Received
4/10/10

कुलपति

पृ० सं० - मान्यता/शै०व्य०/1467 (6)

दिनांक: 30.11.2010

प्रतिनिधि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. डॉ० (श्रीमती) वीना पाण्डे, द्वारा श्री जी० एस० पाण्डे, एडिशनल एस० पी०, पुलिस संचार (कुमाऊँ) रेन्ज, पुलिस लाईन्स, तल्लीताल, नैनीताल।
2. विभागाध्यक्ष, बायोटेक्नोलॉजी विभाग, भीमताल परिसर, भीमताल (नैनीताल)
3. संकायाध्यक्ष/परिसर संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, डॉ० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
4. परिसर निदेशक, डॉ० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
5. वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. सहायक लेखाधिकारी, डॉ० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
7. अभिलेख पत्रावली/वर्गीकरण पत्रावली।

कुलसचिव

30/11/2010

e/c

(2) (50)

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12-07-2005 के मव संख्या-9 पर लिए गए निर्णयानुसार कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के बायोटेक्नोलॉजी विभाग में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता बायोटेक्नोलॉजी के पद पर वेतनमान ₹0 8,000-275-13,500 में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

- 1- डॉ० तपन कुमार नैलवाल, 27, कृष्णा कालौनी, छोटी मुखानी, हल्द्वानी (नैनीताल)।
- 2- कु० महजिबीन खान, कमरा नं०-7, कस्तूरबा भवन, जी०बी० पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पतनगर (उधमसिंहनगर)।

उपरोक्त अभ्यर्थियों को प्रवक्ता, बायोटेक्नोलॉजी के पद पर उक्त वेतनमान में ₹0 8,000/-प्रारंभिक वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक हित में उक्त अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

उपरोक्त अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय में नियुक्त पद पर दिनांक 31 जुलाई, 2005 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपरोक्त अभ्यर्थियों को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

34/14
कुलपति — 13.7.05
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

पू०स०मान्यता/शै०व्यव०/पीईआर/667(2)(3) दिनांक 13 जुलाई, 2005

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- डॉ० तपन कुमार नैलवाल, 27, कृष्णा कालौनी, छोटी मुखानी, हल्द्वानी (नैनीताल)।
- 2- कु० महजिबीन खान, कमरा नं०-7, कस्तूरबा भवन, जी०बी० पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पतनगर (उधमसिंहनगर)।
- 3- विभागाध्यक्ष, बायोटेक्नोलॉजी विभाग, कु०वि०वि०, नैनीताल।
- 4- समन्वयक अधिष्ठाता, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 5- संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 5- वित्त अधिकारी, कु०वि०वि०, नैनीताल।
- 6- सहायक लेखाधिकारी, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 7- अभिलेख/व्यक्तिगत पत्रावली।

13/7/05
(सुरेश चन्द्र जोशी)
कुलसचिव

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)



KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL

(3)

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 मई, 2013 के मद संख्या 03 पर लिये गये निर्णयानुसार डा० संतोष कुमार उपाध्याय पुत्र श्री के०एन० उपाध्याय को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक प्राध्यापक (बायो टेक्नोलॉजी) के पद पर वेतनमान 15600-39100+6000 ए०जी०पी में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के भीताल परिसर में बायो टेक्नोलॉजी विभाग में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। शिक्षण एवं प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डा० उपाध्याय को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

डा० उपाध्याय को सहायक प्राध्यापक, बायोटेक्नोलॉजी (अनारक्षित) पद के सापेक्ष अनुमन्य वेतनमान के प्रारंभिक स्तर एवं उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

डा० उपाध्याय को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 मई, 2013 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

उक्त नियुक्ति के सापेक्ष सलग्न अनुबन्ध पत्र (रु० 100.00 नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर में) भरकर एक माह के भीतर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना होगा।

इस पद पर नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या-3077 ऑफ 2012 एवं संख्या-2645 ऑफ 2012 के अधीन इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अन्यथा निर्णय लिया जाता है, तो वह उन्हें मान्य होगा।

कुलपति

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

दिनांक: 1-5-2013

पृ०सं०-मा०/कार्मिक/शै०व्य०/पीईआर/157

प्रतिलिपि-

- 1- डा० संतोष कुमार उपाध्याय, 131 कैम्ब्रीज, बी०एल०भीडी० ए०पी०टी० # 2 यू०एस०ए०।
- 2- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
- 3- संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय।
- 4- परिसर निदेशक।
- 5- वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
- 6- सहायक लेखाधिकारी।
- 7- अभिलेख पत्रावली।

कुलसचिव



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.11.2010 के मद संख्या 10/26 पर लिये गये निर्णयानुसार डॉ० रिशेन्द्र कुमार, रुम नं० 158, शास्त्री भवन, जी० बी० पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुसूचित जाति) बायोटेक्नोलॉजी के पद पर वेतन वृण्ड 3, वेतनमान 15600-39100 + 6000 ए० जी० पी० में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के कुमाऊँ विश्वविद्यालय परिसर, भीमताल (नैनीताल) में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डॉ० कुमार को असिस्टेंट प्रोफेसर, बायोटेक्नोलॉजी के पद पर उक्त वेतनमान का प्रारम्भिक स्तर तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डॉ० कुमार को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

डॉ० कुमार को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ० कुमार को कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

कुलपति

पृ० सं० - मान्यता/शै०व्य०/ 1468(12)

दिनांक: 30.11.2010

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. डॉ० रिशेन्द्र कुमार, रुम नं० 158, शास्त्री भवन, जी० बी० पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर।
2. विभागाध्यक्ष, बायोटेक्नोलॉजी विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय परिसर, भीमताल (नैनीताल)।
3. संकायाध्यक्ष/परिसर संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
4. पाठ्यक्रम निदेशक, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
5. वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. सहायक लेखाधिकारी, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
7. अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।


कुलपति
30/11/2010


12/11/2010

0/11



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

KUMAON UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

5

162

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संसुति तथा कार्यपरिपक्वता का बैरक दिनांक 15.02.2011 के बाद संख्या 16 पर लिखे गये निर्णयानुसार डॉ० एस० एस० बर्गली, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, इन्दिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, रायपुर, छत्तीसगढ़ को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि में प्रोफेसर (ओपन) वनस्पति विज्ञान के पद पर पayscale बैंड 4, वेतनमान रु० 37,400-67,000 + 10,000 ए० जी० की० में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी० एस० जी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डॉ० बर्गली को प्रोफेसर, पिन के पद पर उक्त वेतनमान का प्रारम्भिक स्तर तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डॉ० बर्गली को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिस्थिमायवी में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डॉ० बर्गली को उक्त परिसर में नियुक्ति पद पर दिनांक 20 मार्च, 2011 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्विकार करने की सूचना गुरुत्वात्तार/कैपस द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ० बर्गली को कोई पत्राभस्त इत्यादि देय नहीं होगा।

कुलपति

पृ० सं० - मान्यता/डो०एस०/ 217

दिनांक: 19.02.2011

प्रतिनिधि: निम्नांकित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. डॉ० एस० एस० बर्गली, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, इन्दिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. विभागाध्यक्ष/परिसर विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग, डी० एस० जी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जी० परिसर, अल्मोड़ा।
3. संस्थापक/परिसर संस्थापक, विज्ञान संस्थान, डी० एस० जी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जी० परिसर, अल्मोड़ा।
4. परिसर निदेशक, डी० एस० जी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जी० परिसर, अल्मोड़ा।
5. बिल आधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. सहायक लेखाधिकारी, डी० एस० जी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जी० परिसर, अल्मोड़ा।
7. अभिलेख प्रबन्धक/व्यक्तिगत प्रबन्धक।

कुलसचिव

(7)

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
कार्यालय आदेश

(6)

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की सन्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12-07-2005 के मद संख्या-9 पर लिए गए निर्णयानुसार डॉ० (श्रीमती) किरन वर्गली, 257, प्रथम तल चीनाखान लाईन, तल्लीताल, नैनीताल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता वनस्पति विज्ञान के पद पर वेतनमान रु० 8,000-275-13,500 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डॉ० (श्रीमती) किरन वर्गली को प्रवक्ता, वनस्पति विज्ञान के पद पर उक्त वेतनमान में रु० 8,000/-प्रारम्भिक वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक हित में डॉ० (श्रीमती) किरन वर्गली को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डॉ० (श्रीमती) किरन वर्गली को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 जुलाई, 2005 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ० (श्रीमती) वर्गली को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

हस्ताक्षर/—

कुलपति

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

पू०स०मान्यता/शै०व्यव०/पीईआर/667 (1)

दिनांक 13 जुलाई, 2005

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- डॉ० (श्रीमती) किरन वर्गली, 257, प्रथम तल चीनाखान लाईन, तल्लीताल, नैनीताल।
- 2- परिसर विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 3- समन्वयक अधिष्ठाता, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 4- संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 5- वित्त अधिकारी, कु०वि०वि०, नैनीताल।
- 6- सहायक लेखाधिकारी, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 7- अभिलेख/व्यक्तिगत पत्रावली।

[Handwritten Signature]

(सुरेश चन्द्र जोशी)
कुलसचिव

13/7/05

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12-07-2005 के मद संख्या-9 पर लिए गए निर्णयानुसार डॉ० ललित मोहन तिवारी, ओक लौज नं०-6, मल्लीताल, नैनीताल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उपाचार्य, वनस्पति विज्ञान के पद पर वेतनमान रु० 12,000-420-18,300 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डॉ० तिवारी को उपाचार्य, वनस्पति विज्ञान के पद पर उक्त वेतनमान में रु० 12,000/- प्रारम्भिक वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक हित में डॉ० तिवारी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिणियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डॉ० तिवारी को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 14 अगस्त, 2005 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ० तिवारी को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

हस्ताक्षर/-

कुलपति

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

पू०स०मान्यता/शै०व्यव०/पीईआर/667 (7)

दिनांक 13 जुलाई, 2005

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- डॉ० ललित मोहन तिवारी, ओक लौज नं०-6, मल्लीताल, नैनीताल।
- 2- परिसर विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 3- समन्वयक अधिष्ठाता, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 4- संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 5- वित्त अधिकारी, कु०वि०वि०, नैनीताल।
- 6- सहायक लेखाधिकारी, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 7- अभिलेख/व्यक्तिगत पत्रावली।

(सुरेश चन्द्र जोशी)
कुलसचिव

13/7/05

(141)

(8)

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12-07-2005 के मद संख्या-9 पर लिए गए निर्णयानुसार डॉ० (श्रीमती) सुषमा टम्टा पत्नी डॉ० टी०के० टम्टा, रतन आश्रम, नरसिंह बाड़ी, अल्मोड़ा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता वनस्पति विज्ञान के पद पर वेतनमान रु० 8,000-275-13,500 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डॉ० (श्रीमती) सुषमा टम्टा को प्रवक्ता, वनस्पति विज्ञान के पद पर उक्त वेतनमान में रु० 8,000/- प्रारम्भिक वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक हित में डॉ० (श्रीमती) टम्टा को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डॉ० (श्रीमती) टम्टा को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 जुलाई, 2005 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ० (श्रीमती) टम्टा को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

रु०/११
कुलपति — 13.7.05
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

पू०स०मान्यता/शै०व्यव०/पीईआर/६६७ (4) दिनांक 13 जुलाई, 2005

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- डॉ० (श्रीमती) सुषमा टम्टा पत्नी डॉ० टी०के० टम्टा, रतन आश्रम, नरसिंह बाड़ी, अल्मोड़ा।
- 2- परिसर विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 3- समन्वयक अधिष्ठाता, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 4- संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 5- वित्त अधिकारी, कु०वि०वि०, नैनीताल।
- 6- सहायक लेखाधिकारी, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 7- अभिलेख/व्यक्तिगत पत्रावली।

०१०४

(सुरेश चन्द्र जोशी)
कुलसचिव 13/7/05



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.02.2011 के मद संख्या 16 पर लिये गये निर्णयानुसार डॉ० (श्रीमती) नीलू लोधियाल, द्वारा श्री पी० एस० रौतेला, स्टोले कम्पाउण्ड, तल्लीताल, नैनीताल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से असिस्टेंट प्रोफेसर (अनारक्षित) वनस्पति विज्ञान के पद पर वेतन बैंड 3, वेतनमान 15600-39100 + 6000 ए० जी० पी० में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डॉ० लोधियाल को असिस्टेंट प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान के पद पर उक्त वेतनमान का प्रारम्भिक स्तर तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डॉ० लोधियाल को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनिर्णयमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डॉ० लोधियाल को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 20 मार्च, 2011 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ० लोधियाल को कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

कुलपति

पृ० सं० - मान्यता/शै०व्य०/२८४८

दिनांक: 19.02.2011

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. डॉ० (श्रीमती) नीलू लोधियाल, द्वारा श्री पी० एस० रौतेला, स्टोले कम्पाउण्ड, तल्लीताल, नैनीताल।
2. विभागाध्यक्ष/परिसर विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
3. संकायाध्यक्ष/परिसर संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
4. परिसर निदेशक, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
5. वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. सहायक लेखाधिकारी, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
7. अभिलेख प्रभावली/व्यक्तिगत प्रभावली।

कुलसचिव

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31(4)(ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संसुति तथा विश्वविद्यालय कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 4 अगस्त, 1984 के मद् संख्या 14/4 के आधार पर डा० सुरेश चन्द्र सती द्वारा बनस्पति विज्ञान विभाग, डी०एस०बी० संघटक महाविद्यालय मैनीताल को कार्यभार ग्रहण तिथि से प्रवक्ता बनस्पति विज्ञान के पद पर वेतनमान रु० 700-40-1100-50-1600 में कुमायूँ विश्वविद्यालय के डी०एस०बी० संघटक महाविद्यालय मैनीताल में अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है।

डा० सुरेश चन्द्र सती को प्रवक्ता बनस्पति विज्ञान के पद पर उक्त वेतनमान में रु० 700/- प्रारम्भिक वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डा० सुरेश चन्द्र सती को विश्वविद्यालय के किसी भी संघटक महाविद्यालय में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमों में निहित सेवा शर्तें उन पर पूर्ण स्वेण लागू होंगी।

डा० सुरेश चन्द्र सती को उक्त संघटक महाविद्यालय में नियुक्त पद पर दिनांक 4-9-84 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है।

इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डा० सुरेश चन्द्र सती को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

बुद्धी नारायण सिंह

कुलसचिव

दिनांक-

पृष्ठानक/पत्रादि/मान्यता:

- 1- प्रतिनिधि सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :
डा० सुरेश चन्द्र सती, द्वारा बनस्पति विज्ञान विभाग, डी०एस०बी० संघटक महाविद्यालय, मैनीताल।
- 2- स्कायाफ़ेक्स विज्ञान स्काय, डी०एस०बी० संघटक महाविद्यालय, मैनीताल।
- 3- वित्त अधिकारी, कुमायूँ विश्वविद्यालय, मैनीताल।
- 4- सह सेवाअधिकारी, डी०एस०बी० संघटक महाविद्यालय, मैनीताल।
- 5- अभिलेख पत्राली।
- 6- व्यक्तिगत पत्राली।

बुद्धी नारायण सिंह

कुलसचिव

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

विष्णुविष्णु-विष्णु

विद्यार्थियों को सूचित, 1973 की संख्या 3184/73 के अन्तर्गत विद्यार्थी
को विद्यार्थी के विद्यार्थी तथा विद्यार्थी विद्यार्थी के विद्यार्थी के विद्यार्थी
29-1-1973, 1977 के विद्यार्थी-1973 के अन्तर्गत विद्यार्थी विद्यार्थी विद्यार्थी
विद्यार्थी विद्यार्थी विद्यार्थी विद्यार्थी विद्यार्थी विद्यार्थी विद्यार्थी विद्यार्थी
विद्यार्थी विद्यार्थी विद्यार्थी विद्यार्थी विद्यार्थी विद्यार्थी विद्यार्थी विद्यार्थी
31-7-1973-11-1973-11-1973 के विद्यार्थी विद्यार्थी विद्यार्थी विद्यार्थी
विद्यार्थी विद्यार्थी विद्यार्थी विद्यार्थी विद्यार्थी विद्यार्थी विद्यार्थी विद्यार्थी

किस प्रकार की प्रजाति व्यवस्था विज्ञान है वह पर तथा वैज्ञानिक
को 7-12-13 द्वारा ही विज्ञान तथा जो वह सुगम्य भाषा में देखा है ।

इस प्रकार, अविनाशिका प्रकृति है कि वह जो सबको विनाशित करने के लिए ही पैदा हुआ है वह सबको विनाशित किया जा सकता है ।
विनाशित करने के लिए ही वह पैदा हुआ है कि वह सबको विनाशित करे ।

15-3-1987

... ..

neuf. m

1500-1501

2/10/20

31. 0.02

... ..

- 1- ...
- 2- ...
- 3- ...
- 4- ...
- 5- ...
- 6- ...
- 7- ...

Var 4-c

1274 1275 1276

502

• $\frac{1}{2} \pi$ of

7-7-5

22

LIST



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

12

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.02.2011 के मद संख्या 16 पर लिये गये निर्णयानुसार डॉ० अनिल कुमार बिष्ट, कारखाना बाजार, अल्मोड़ा, पोस्ट एवं जिला - अल्मोड़ा - 263601 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से असिस्टेंट प्रोफेसर (अन्य पिछड़ा वर्ग) वनस्पति विज्ञान के पद पर वेतन बैंड 3, वेतनमान 15600-39100 + 6000 ए० जी० पी० में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डॉ० बिष्ट को असिस्टेंट प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान के पद पर उक्त वेतनमान का प्रारम्भिक स्तर तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डॉ० बिष्ट को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डॉ० बिष्ट को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 20 मार्च, 2011 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ० बिष्ट को कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

Received
2006m
22/02/2011

पृ० सं० - मान्यता/शै०व्य०/2099

कुलपति

दिनांक: 19/02.2011

22

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. डॉ० अनिल कुमार बिष्ट, कारखाना बाजार, अल्मोड़ा, पोस्ट एवं जिला - अल्मोड़ा - 263601।
2. विभागाध्यक्ष/परिसर विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
3. संकायध्यक्ष/परिसर संकायध्यक्ष, विज्ञान संकाय, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
4. परिसर निदेशक, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
5. वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. सहायक लेखाधिकारी, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
7. अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।

कुलसचिव

22.02.2011



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

KUMAON UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

13

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिपद् की बैठक दिनांक 19.02.2011 के मद्द संख्या 16 पर लिये गये निर्णयानुसार डॉ० कपिल खुल्बे, पंचवटी, नियर सैनिक स्कूल, मल्लीताल, नैनीताल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से असिस्टेंट प्रोफेसर (अनारक्षित) वनस्पति विज्ञान के पद पर वेतन बैंड 3, वेतनमान 15600-39100 + 6000 ए० जी० पी० में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डॉ० खुल्बे को असिस्टेंट प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान के पद पर उक्त वेतनमान का प्रारम्भिक स्तर तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डॉ० खुल्बे को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डॉ० खुल्बे को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 20 मार्च, 2011 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ० खुल्बे को कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

कुलपति

पृ० सं० - मान्यता/शै०व्य०/ 2079

दिनांक: 19.02.2011

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. डॉ० कपिल खुल्बे, पंचवटी, नियर सैनिक स्कूल, मल्लीताल, नैनीताल।
2. विभागाध्यक्ष/परिसर विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
3. संकायाध्यक्ष/परिसर संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
4. परिसर निदेशक, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
5. वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. सहायक लेखाधिकारी, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
7. अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।

कुलसचिव

पिज्ञप्ति/मान्यता/687

दिनांक 19-7-86

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31(4)(ए) के अन्तर्गत गठित व्यय समिति की संस्तुति तथा विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक दिनांक 19 जुलाई, 1986 के मद्र संख्या 1388 के आधार पर डा० आनन्द बल्लभ भेलकानी, रसायन विज्ञान विभाग, डी०एस०बी० संघटक महाविद्यालय, नैनीताल को कार्यभार ग्रहण तिथि से प्रवक्ता रसायन विज्ञान ^{वेतनमान} स्को 700-40-1100-50-1600 में कुमार्यु विश्वविद्यालय के डी०एस०बी० संघटक महाविद्यालय, नैनीताल में अवकाश रूप से नियुक्त किया जाता है।

डा० भेलकानी को प्रवक्ता रसायन विज्ञान के पद पर उक्त वेतनमान में स्को 700-00 प्रारम्भिक वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के दृष्टि में डा० भेलकानी को विश्वविद्यालय के किसी भी संघटक महाविद्यालय में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमों में निहित सेवा शर्तें उन पर पूर्णरूपेण लागू होंगी।

डा० भेलकानी को उक्त संघटक महाविद्यालय में नियुक्त पद पर दिनांक 5-8-86 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है।

इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डा० भेलकानी को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

ह० एम०डी० उपाध्यक्ष
कुलपति

प० एम० मान्यता/ 687 तद दिनांक-
प्रतिलिपि सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

- 1- डा० आनन्दबल्लभ भेलकानी, डी०एस०बी० संघटक महाविद्यालय, नैनीताल।
- 2- निदेशक, डी०एस०बी० संघटक महाविद्यालय, नैनीताल परिसर
- 3- विभागाध्यक्ष रसायन विज्ञान विभाग, डी०एस०बी० संघटक महाविद्यालय नैनीताल परिसर।
- 4- वित्त अधिकारी, कुमार्यु विश्वविद्यालय नैनीताल।
- 5- सह लेखा अधिकारी, डी०एस०बी० संघटक महाविद्यालय, नैनीताल परिसर।
- 6- अभिलेख पत्रावली।
- 7- व्यक्तिगत पत्रावली।

leung
आर०सी० चन्दा
कुलसचिव

विज्ञापित संज्ञा/सामान्यता/

दिनांक:

विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 11(4) (ए) के अन्तर्गत
महिन वलन समिति की संसूचित तथा विश्वविद्यालय कार्य परिषद को चैक
दिनांक 27 अगस्त, 1987 के सद संज्ञा 10/87 के आधार पर डा० कुं
पुष्पा देवी जोशी, रोजी चिन्ता, तल्ली तान, नैनीताल को कार्यभार ग्रहण
विधि से प्रवक्ता, रसायन विज्ञान के पद पर वेतनमान रु 700-40-1100-
50-1600 में कुमायू विश्वविद्यालय के डी०एम०बी० परिसर संशोधक महाविद्यालय
नैनीताल में स्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डा० कुं पुष्पा देवी जोशी को प्रवक्ता रसायन विज्ञान के पद
पर उक्त वेतनमान में रु 700/- गारंटीकृत वेतन तथा उक्त पर अनुमान्य भत्ते
देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के उद्देश में डा० कुं पुष्पा देवी
जोशी को विश्वविद्यालय के किसी भी संशोधक महाविद्यालय में स्थापनामन्त्रित
किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिसरों में निहित वेतन शीर्षों उन पर
पूर्णस्वीकृत लागू होंगी।

डा० कुं पुष्पा देवी जोशी को उक्त संशोधक महाविद्यालय में
नियुक्त पद पर दिनांक 13-9-87 तक कार्यभार ग्रहण करता होगा अन्यथा
नियुक्ति पत्रस्त को जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की मूलतः पुरन
तार द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है।

उक्त नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डा० कुं पुष्पा देवी
जोशी को कोई मार्ग व्यवस्थादि देय नहीं होगा।

मे.स.न.
: एन०डी०एम०बी०
कुमायू

50 संज्ञा सामान्यता/802

दिनांक : 31-8-87

प्रतिलिपि सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यकारी हेतु निम्नलिखित को
प्रेषित :

- 1- डा० कुं पुष्पा देवी जोशी, रोजी चिन्ता, तल्ली तान, नैनीताल
- 2- संज्ञावाचक, विज्ञान संज्ञा, डी०एम०बी० परिसर संशोधक महा
विद्यालय, नैनीताल।
- 3- विस्तृत अधिकारी, कुमायू विश्वविद्यालय, नैनीताल।
- 4- सह जेन्स अधिकारी, डी०एम०बी० संशोधक महाविद्यालय, नैनीताल।
- 5- व भौतिक प्रशासकी।
- 6- व्यक्तित्व प्रशासकी।

कुमायू
: एन०डी०एम०बी०
कुमायू

कुमायूँ विश्वविद्यालय नैनीताल
नियुक्ति/विज्ञप्ति

(38)

16

विज्ञप्ति संख्या

दिनांक :

विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 31(4)(ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संसुति तथा विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28-12-1993 की मद संख्या 25 के आधार पर डा० श्रीमती चित्रा पाण्डेय, न्यू एडवान्टेज काटेज, तल्लीताल, नैनीताल को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्ववक्ता रसायन विज्ञान के पद पर वेतनमान रु0 2200-75-2800-100-4000 में कुमायूँ विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा परिसर- संघटक महाविद्यालय बेल्माड़ा में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। पूर्ववक्ता पदों पर नियुक्ति हेतु शोध छात्ररक्षा में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखल की है अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका पर बाद में लिया जाने वाला निर्णय इस नियुक्ति पर पूर्णरूप से लागू होगा।

डा० श्रीमती पाण्डे को पूर्ववक्ता के पद पर वेतनमान रु02200=00 प्रारम्भिक वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डा० श्रीमती पाण्डेय को विश्वविद्यालय के किसी भी संघटक महाविद्यालय में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय - समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्णरूप से लागू होंगी।

डा० श्रीमती पाण्डे को उक्त संघटक महाविद्यालय में नियुक्त पद पर दिनांक 12-1-1994 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है।

इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु श्रीमती पाण्डे को कोई मार्गव्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

एम०सी० जोशी,
कुलपति

प०स० मान्यता/ 1257

दिनांक : 28/12/93

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1- डा० श्रीमती चित्रा पाण्डे, न्यू एडवान्टेज काटेज, तल्लीताल, नैनीताल
- 2- विभागाध्यक्ष, रसायन विज्ञान, अल्मोड़ा परिसर, अल्मोड़ा
- 3- निदेशक, अल्मोड़ा संघटक महाविद्यालय, अल्मोड़ा
- 4- वित्त अधिकारी, कु०वि०वि०, नैनीताल
- 5- सह लेखाधिकारी, संघटक महाविद्यालय, अल्मोड़ा
- 6- अभिलेख पत्रावली।
- 7- व्यक्तिगत पत्रावली।

सह कुलपति 98/11

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)



KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL

17

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 मई, 2013 के मद संख्या 03 पर लिये गये निर्णयानुसार डा० नन्द गोपाल साहू पुत्र श्री एस०पी साहू को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सह प्राध्यापक (रसायन विज्ञान) के पद पर वेतनमान 37400-67000+9000 ए०जी०पी में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के एस०एस०जे० परिसर, अल्मोडा में रसायन विज्ञान विभाग में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। शिक्षण एवं प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डा० साहू को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डा० साहू को सह प्राध्यापक, रसायन विज्ञान विभाग (अनारक्षित) पद के सापेक्ष अनुमान्य वेतनमान के प्रारंभिक स्तर एवं उस पर अनुमान्य भत्ते देय होंगे।

डा० साहू को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 मई, 2013 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

उक्त नियुक्ति के सापेक्ष सलग्न अनुबन्ध पत्र (रु० 100.00 नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर में) भरकर एक माह के भीतर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना होगा।

इस पद पर नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या-3077 ऑफ 2012 एवं संख्या-2645 ऑफ 2012 के अधीन इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अन्यथा निर्णय लिया जाता है, तो वह उन्हें मान्य होगा।

कुलपति
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

पृ०सं०-मा०/कार्मिक/शै०व्य०/पीईआर/157

दिनांक: 1-5-2013

प्रतिलिपि-

- 1- डा० नन्द गोपाल साहू, ब्लाक 939 12-409 जुरंगवैस्ट, स्टे-91, सिंगापुर-640939
- 2- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
- 3- संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय।
- 4- परिसर निदेशक।
- 5- वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
- 6- सहायक लेखाधिकारी।
- 7- अभिलेख पत्रावली।

कुलसचिव

16
33

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम की 1973 की धारा 31(4)(ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29-11-2005 के मद संख्या-22 पर लिए गए निर्णयानुसार डॉ० गीता काण्डपाल, 6 ओक लॉज, मल्लीताल, नैनीताल, को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता, रसायन विज्ञान के पद पर वेतनमान रु० 8000-275-13500 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के एस०एस०जीना परिसर, अल्मोड़ा में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डॉ० गीता काण्डपाल को प्रवक्ता रसायन विज्ञान के पद पर उक्त वेतनमान में रु० 8000/- प्रारम्भिक वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डॉ० काण्डपाल को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनिधमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्णरूप से लागू होंगे।

डॉ० गीता काण्डपाल को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31-12-2005 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ० गीता काण्डपाल को कोई मार्ग वाय इत्यादि देय नहीं होगा।

रु/-
(आश्चर्यीय पत्र)
कुलपति

पू०स०मान्यता/पीईआर/1800(A)

दिनांक 1-12-2005

- प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 1- डॉ० गीता काण्डपाल, 6 ओक लॉज, मल्लीताल, नैनीताल।
 - 2- विभागाध्यक्ष, रसायन विज्ञान विभाग, डॉ०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
 - 3- समन्वयक अधिष्ठाता, डॉ०एस०बी० परिसर, नैनीताल/एस०एस०जीना परिसर, अल्मोड़ा।
 - 4- सहायक विज्ञान सहाय, डॉ०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
 - 5- परिसर विभागाध्यक्ष, रसायन विज्ञान विभाग, एस०एस०जीना परिसर, अल्मोड़ा।
 - 6- वित्त अधिकारी, कु०वि०वि०, नैनीताल।
 - 7- सहायक लेखाधिकारी, एस०एस०जीना परिसर, अल्मोड़ा।


कुलपति
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

नियुक्ति/विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिपद् की बैठक दिनांक 23.05.2009 के मद संख्या 22 पर लिये गये निर्णयानुसार डॉ० शहराज अली, द्वारा डॉ० कमालुद्दीन, रसायन विज्ञान विभाग, आई० आई० टी० रुड़की को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता रसायन (अन्य पिछड़ा वर्ग) के पद पर वेतनमान रु० 8000-275-13500 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डॉ० शहराज अली को प्रवक्ता रसायन (अन्य पिछड़ा वर्ग) के पद पर उक्त वेतनमान तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डॉ० शहराज अली को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

डॉ० शहराज अली को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 23 जून, 2009 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ० शहराज अली को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।


कुलपति
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

पृ० सं० - मान्यता/शै०व्य०/240

दिनांक: 23-5-2009

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. डॉ० शहराज अली, द्वारा डॉ० कमालुद्दीन, रसायन विज्ञान विभाग, आई० आई० टी० रुड़की।
2. विभागाध्यक्ष/परिसर विभागाध्यक्ष, रसायन विज्ञान विभाग, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
3. संकायाध्यक्ष/परिसर संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा/डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
4. समन्वयक अधिष्ठाता, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
5. वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. सहायक लेखाधिकारी, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
7. अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।


(डी० सी० जोशी)
कुलसचिव



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

20

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यवाहक की बैठक दिनांक 30.11.2010 के मद संख्या 10/26 पर लिये गये निर्णयानुसार श्री महेश चन्द्र आर्या, जवाहर नवोदय विद्यालय, पो0 ऑ0 कुकनूर, येलबुर्गा (तालुक), जिला कोपल, कर्नाटक-583232 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुसूचित जाति) रसायन विज्ञान के पद पर वेतन बैंड 3, वेतनमान 15600-39100 + 6000 ए0 जी0 पी0 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी0 एस0 बी0 परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

श्री आर्या को असिस्टेंट प्रोफेसर, रसायन विज्ञान के पद पर उक्त वेतनमान का प्रारम्भिक स्तर तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में श्री आर्या को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

श्री आर्या को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु श्री आर्या को कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

कुलपति

पृ0 सं0 - मान्यता/शै0व्य0/ 1468(5)

दिनांक: 30.11.2010

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री महेश चन्द्र आर्या, जवाहर नवोदय विद्यालय, पो0 ऑ0 कुकनूर, येलबुर्गा (तालुक), जिला कोपल, कर्नाटक-583232।
2. विभागाध्यक्ष/परिसर विभागाध्यक्ष, रसायन विज्ञान विभाग, डी0 एस0 बी0 परिसर, नैनीताल/एस0 एस0 जी0 परिसर, अल्मोड़ा।
3. संकायाध्यक्ष/परिसर संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, डी0 एस0 बी0 परिसर, नैनीताल/एस0 एस0 जी0 परिसर, अल्मोड़ा।
4. परिसर निदेशक, डी0 एस0 बी0 परिसर, नैनीताल/एस0 एस0 जी0 परिसर, अल्मोड़ा।
5. वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. सहायक लेखाधिकारी, डी0 एस0 बी0 परिसर, नैनीताल/एस0 एस0 जी0 परिसर, अल्मोड़ा।
7. अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।

कुलसचिव
30/11/2010

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

नियुक्ति/विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.05.2009 के मद संख्या 22 पर लिये गये निर्णयानुसार डॉ० मो० सुहेल जावेद, 09/430 उत्तर उजाला कॉलोनी, बरेली रोड, हल्द्वानी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता रसायन (अन्य पिछड़ा वर्ग) के पद पर वेतनमान रु० 8000-275-13500 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डॉ० मो० सुहेल जावेद को प्रवक्ता रसायन (अन्य पिछड़ा वर्ग) के पद पर उक्त वेतनमान तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डॉ० जावेद को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डॉ० जावेद को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 23 जून, 2009 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ० जावेद को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।


कुलपति
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

पृ० सं० - मान्यता/शै०व्य०/235

दिनांक: 23-05-2009

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. डॉ० मो० सुहेल जावेद, 09/430 उत्तर उजाला कॉलोनी, बरेली रोड, हल्द्वानी।
2. विभागाध्यक्ष/परिसर विभागाध्यक्ष, रसायन विज्ञान विभाग, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
3. संकायाध्यक्ष/परिसर संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा/डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
4. समन्वयक अधिष्ठाता, एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
5. वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. सहायक लेखाधिकारी, एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
7. अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।


(बी० सी० जोशी)
कुलसचिव



KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 मई, 2013 के मद संख्या 03 पर लिये गये निर्णयानुसार डा० पैनी जोशी पुत्री श्री एस०के० उपाध्याय को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक प्राध्यापक (रसायन विज्ञान) के पद पर वेतनमान 15600-39100+6000 ए०जी०पी में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल में रसायन विज्ञान विभाग में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। शिक्षण एवं प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डा० जोशी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

डा० जोशी को सहायक प्राध्यापक, रसायन विज्ञान विज्ञान (अनारक्षित) पद के सापेक्ष अनुमन्य वेतनमान के प्रारंभिक स्तर एवं उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

डा० जोशी को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 मई, 2013 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

उक्त नियुक्ति के सापेक्ष सलग्न अनुबन्ध पत्र (रु० 100.00 नॉन ज्यूडीशियल स्टांप पेपर में) भरकर एक माह के भीतर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना होगा।

इस पद पर नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या-3077 ऑफ 2012 एवं संख्या-2645 ऑफ 2012 के अधीन इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अन्यथा निर्णय लिया जाता है, तो वह उन्हें मान्य होगा।


कुलपति

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

पृ०सं०-मा०/कार्मिक/शै०व्य०/पीईआर/157

दिनांक: 1-5-2013

प्रतिलिपि-

- 1- डा० पैनी जोशी, द्वारा-डा० जी०सी० जोशी, सरस्वती बिहार कालोनी, हल्द्वानी।
- 2- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
- 3- संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय।
- 4- परिसर निदेशक।
- 5- वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
- 6- सहायक लेखाधिकारी।
- 7- अभिलेख पत्रावली।



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

KUMAON UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संसुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.11.2010 के मद संख्या 10/26 पर लिये गये निर्णयानुसार श्री मनोज धुनी, द्वारा श्री जे0 आर0 धौनी, सी0-3 कैनाल कॉलोनी, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी-263139 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुसूचित जाति) रसायन विज्ञान के पद पर वेतन बैंड 3, वेतनमान 15600-39100 + 6000 ए0 जी0 पी0 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी0 एस0 बी0 परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

श्री धुनी को असिस्टेंट प्रोफेसर, रसायन विज्ञान के पद पर उक्त वेतनमान का प्रारम्भिक स्तर तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में श्री धुनी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

श्री धुनी को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु श्री धुनी को कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

कुलपति

पृ0 सं0 - मान्यता/शै0व्य0/ 1468(6)

दिनांक: 30.11.2010

प्रतिनिधि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री मनोज धुनी, द्वारा श्री जे0 आर0 धौनी, सी0-3 कैनाल कॉलोनी, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी-263139।
2. विभागाध्यक्ष/परिसर विभागाध्यक्ष, रसायन विज्ञान विभाग, डी0 एस0 बी0 परिसर, नैनीताल/एस0 एस0 जे0 परिसर, अल्मोड़ा।
3. संकायाध्यक्ष/परिसर संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, डी0 एस0 बी0 परिसर, नैनीताल/एस0 एस0 जे0 परिसर, अल्मोड़ा।
4. परिसर निदेशक, डी0 एस0 बी0 परिसर, नैनीताल/एस0 एस0 जे0 परिसर, अल्मोड़ा।
5. वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. सहायक लेखाधिकारी, डी0 एस0 बी0 परिसर, नैनीताल/एस0 एस0 जे0 परिसर, अल्मोड़ा।
7. अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।


कुलसचिव
30/11/2010

कुमार्य विश्वविद्यालय को नियुक्ति/विज्ञप्ति आदेश सं० 5571-80, दिनांक 7-1-1980 (प्रतिलिपि संलग्न) के क्रम में श्री वी०डी० कविदयाल द्वारा श्री वी०डी० सनवाल, उ०प्र० राजकीय कैदखाना, नैनीताल को कार्यभार ग्रहण तिथि से प्रवृत्ता वाणिज्य के पद पर कुमार्य विश्वविद्यालय के संपटक डी०एस०बी० महाविद्यालय, नैनीताल में अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है।

उन्हें प्रवृत्ता के रू० 700-1600 के वेतनमान में न्यूनतम मूल वेतन रू० 700/- तथा अनुमय भत्तों का ही भुगतान किया जायेगा।

श्री वी०डी० कविदयाल को नियुक्ति की तिथि से पाँच वर्षों के अन्तर्गत पोस्च०डी० उपाधि प्राप्त करनी होगी अन्यथा वे ऐसी अवधि के परचातु वार्षिक वेतन वृद्धि पाने के तब तक हकदार नहीं होंगे जब तक कि वे ऐसी उर्हता प्राप्त न कर लें।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में उन्हें विश्वविद्यालय के किसी भी संपटक महाविद्यालय में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिन्धियों में निहित सेवा शर्तें उन पर पूर्णरूपेण लागू होंगी।

श्री वी०डी० कविदयाल को उक्त महाविद्यालय में दिनांक 19-2-1980 को कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त लौटती डाक से विश्वविद्यालय को भेजना अनिवार्य है। कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

ह०/- रामधुदयाल सिंह
कुलपति

पृ०सं० मान्यता/ 5594-99 दिनांक 8/1/80

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- सम्बन्धित व्यक्ति को।
- 2- विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग, उ० डी०एस०बी० संपटक महाविद्यालय, नैनीताल।
- 3- विल्ल अधिकारी, कुमार्य विश्वविद्यालय, नैनीताल।
- 4- प्रशासनिक अधिकारी, डी०एस०बी० महाविद्यालय, नैनीताल।

5- व्यक्तिगत पत्रावली।

6- अभिलेख प्रवृत्त।

*Copy Received
12.12.1980
0-1-80*

जान बाजपेयी
(जान बाजपेयी) 8/1/80
कुलसचिव

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4)(ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 के मद संख्या-5 (3) पर लिये गये निर्णयानुसार डा० अतुल जोशी, रौतेला भवन, चिलियानौला, रानीखेत, अल्मोड़ा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आचार्य, वाणिज्यके पद पर वेतनमान रु० 16400-450-20900-500-22400 में विश्वविद्यालय के एस०एस० जीना परिसर, अल्मोड़ा में अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है।

डा० अतुल जोशी आचार्य, वाणिज्यके पद पर वेतनमान रु० 16400-00 प्रारंभिक वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डा० अतुल जोशी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहत होने वाले सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डा० अतुल जोशी को परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 01 दिसम्बर, 2007 तक अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त फैंक्स/तार द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डा० जोशी को कोई भी मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

आज्ञा से,
ह०/-कुलपति
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल
दिनांक:

पृ०सं०:मान्यता/पीईआर/नियुक्ति/

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- डा० अतुल जोशी, रौतेला भवन, चिलियानौला, रानीखेत, अल्मोड़ा।
- 2- परिसर विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग एस०एस०जीना परिसर, अल्मोड़ा।
- 3- विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 3- संकायाध्यक्ष, वाणिज्य, कला/विज्ञान एस०एस० जीना परिसर, अल्मोड़ा/डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 4- संकायाध्यक्ष, कला/विज्ञान/वाणिज्य, एस०एस०जे० परिसर, अल्मोड़ा/डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 5- वित्त अधिकारी, कु०वि०वि०, नैनीताल।
- 6- सहायक लेखाधिकारी, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 7- सहायक कुलसचिव, मान्यता/शोध/परीक्षा/गोपनीय अनुभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
- 8- निजी सचिव कुलपति को कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।

(बी०सी०जोशी)
कुलसचिव

निश्चित
31/10/07

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
नियुक्ति/विज्ञप्ति

85
26

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31(4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29-6-2004 के मद संख्या-10 पर लिए गए निर्णयानुसार (डॉ०) आरती पंत सी-45, विकासपुरम्, जज फार्म, हल्द्वानी (नैनीताल) 263129 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता वाणिज्य के पद पर वेतनमान रु० 8000-275-13500 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

(डॉ०) आरती पंत को प्रवक्ता ^{वाणिज्य} ~~संज्ञनीतिशास्त्र~~ के पद पर उक्त वेतनमान में रु० 8000/-वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में (डॉ०) आरती पंत को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

(डॉ०) आरती पंत को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 जुलाई, 2004 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु (डॉ०) आरती पंत को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

हस्ता०/-
कुलपति
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

पृ०सं०मान्यता/शै०व्यव०/485

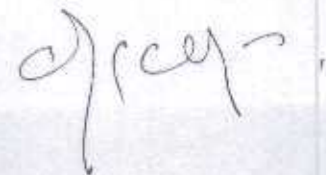
दिनांक 01 जुलाई, 2004

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- (डॉ०) आरती पंत सी-45, विकासपुरम्, जज फार्म, हल्द्वानी (नैनीताल) 263129
- 2- विभागाध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबन्ध संकाय, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 3- संकायाध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबन्ध संकाय, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 4- समन्वयक अधिष्ठाता, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 5- वित्त अधिकारी, कु०वि०, नैनीताल।
- 7- सहायक लेखाधिकारी, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 8- अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।


Anati Pant


(सुरेश चन्द्र जोशी)
कुलसचिव





कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

27

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 21.08.2010 के मद संख्या 6/24 पर लिये गये निर्णयानुसार डॉ० विजय कुमार बाल्मिकी, धोबी घाट, तल्लीताल, नैनीताल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुसूचित जाति) वाणिज्य के पद पर वेतन बैंड 3, वेतनमान 15600-39100 + 6000 ए० जी० पी० II कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डॉ० बाल्मिकी को असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य के पद पर उक्त वेतनमान का प्राथमिक स्तर तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डॉ० बाल्मिकी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानांतरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डॉ० बाल्मिकी को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 20 सितम्बर, 2010 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/पत्र द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ० बाल्मिकी को गोद मार्ग गये इत्यादि देय नहीं होगा।

यह नियुक्ति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि विश्वविद्यालय के विज्ञापन संख्या Affil./Teach/Estb./1545, दिनांक 09.02.2010 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में दायर वाद संख्या 49/2010 पर माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये अन्तरिम आदेशानुसार उक्त वाद के सम्बन्ध में होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

ह०/कुलपति

दिनांक: 21.08.2010

पृ० सं० - मान्यता/शै०व्य०/872

प्रार्थनाएं: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. डॉ० विजय कुमार बाल्मिकी, धोबी घाट, तल्लीताल, नैनीताल।
2. विभागाध्यक्ष/परिसर विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
3. राकायाध्यक्ष/परिसर राकायाध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन संकाय, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
4. परिसर निदेशक, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
5. विभागाध्यक्ष, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. सहायक लेखाधिकारी, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
7. आभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।

21/8
(सुधीर बुड़ाकोटी)
कुलसचिव

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

नियुक्ति/विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31(4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29-6-2004 के मद संख्या-10 पर लिए गए निर्णयानुसार श्री आशीष मेहता नया बाजार, पिथौरागढ़ को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता कम्प्यूटर साइन्स के पद पर वेतनमान रु0 8000-275-13500 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

श्री आशीष मेहता को प्रवक्ता कम्प्यूटर साइन्स के पद पर उक्त वेतनमान में रु0 8000/- प्रारम्भिक वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में श्री आशीष मेहता को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

श्री आशीष मेहता को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 जुलाई, 2004 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु श्री आशीष मेहता को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

हस्ताक्षर/-

कुलपति

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

पू0सं0मान्यता/शै0व्यव0/475

दिनांक 30 जून, 2004

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- श्री आशीष मेहता, नया बाजार, पिथौरागढ़
- 2- विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साइन्स विभाग, सोबनसिंह जीना परिसर, अल्मोड़ा।
- 3- परिसर विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर साइन्स विभाग, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल।
- 4- सगन्वयक अधिष्ठाता, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल।
- 5- परिसर संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल।
- 6- वित्त अधिकारी, कु0वि0, नैनीताल।
- 7- सहायक लेखाधिकारी, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल।
- 8- अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।

(सुरेश चन्द्र जोशी)
कुलसचिव

नियुक्ति/विनियुक्ति

विनियुक्ति संख्या /मान्यता/

दिनांक: 19-8-1988

विकासिकाल्य अधिनियम, 1973 की धारा 31(4)ए के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा विकासिकाल्य कार्यपरिध्व की संख्या दिनांक 19 अगस्त 1988 के मद्र संख्या 48/5 के आधार पर श्री मोहन सिंह मावड़ी, ग्राम पुनमौला भिवियासेन अल्मोड़ा को कार्यभार ग्रहण तिथि से प्रवक्ता चित्रकला केतनमान र० 2200-4000/- में कुमायूँ विकासिकाल्य के डी०एस०बी०सं० महाकाल्य, नैनीताल में नियुक्ति विधायक जाता है ।

श्री मावड़ी को प्रवक्ता चित्रकला के पद पर केतनमान में र० 2200/- प्रारम्भिक वेतन तथा उस पर अनुमान्य भत्ते देय होंगे ।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में श्री मावड़ी को विकासिकाल्य के किसी भी संसदक महाकाल्य में स्थानान्तरित किया जा सकता है । विकासिकाल्य के परिनिधियों में निहित सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रसेण लागू होंगी ।

श्री मावड़ी को नियुक्ति की तिथि से 5 वर्षों के अन्तर्गत परिनिधमावली में विहित डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त करनी होगी अन्यथा वे उस तिथि से वार्षिक वेतन वृद्धि के लक्ष्य लक्ष हददार नहीं होंगे जब तक उक्त उपाधि प्राप्त न कर लें ।

श्री मावड़ी को उक्त संसदक महाकाल्य में नियुक्ति पद पर दिनांक -8-1988 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है । नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार द्वारा विकासिकाल्य को भेजनी आवश्यक है ।

इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु श्री मावड़ी को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा ।

एम०डी०उपाध्याय
कुलपति ।

पृ० सं० मान्यता/ 915

दिनांक:- 19-8-88

प्रतिलिपि - सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित व्यक्ति ।
- 2- संस्थाध्यक्ष, कला, डी०एस०बी०सं० महाकाल्य, नैनीताल ।
- 3- वित्त अधिकारी, कुमायूँ विकासिकाल्य, नैनीताल ।
- 4- सह लेखाधिकारी, डी०एस०बी०परिसर, संसद महाकाल्य, नैनीताल ।
- 5- अभिलेख पत्रावली ।
- 6- व्ययितगत पत्रावली ।

Leifer

अर०डी० पन्त
कुलपति ।

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

कार्यालय आदेश

12

30

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4)(ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक: 04 मार्च, 2006 के मद संख्या-7 पर लिये गये निर्णयानुसार कु० रीना सिंह, कमरा नं०- 11, वर्किंग वूमन हॉस्टिल, वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली (राजस्थान) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता चित्रकला के पद पर वेतनमान रु० 8,000-275-13500 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के एस०एस०जे० परिसर, अल्मोड़ा में अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है।

कु० रीना सिंह को प्रवक्ता चित्रकला के पद पर उक्त वेतनमान में रु० 8,000/- प्रारम्भिक वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक हित में कु० रीना सिंह को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

कु० रीना सिंह को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक: 30 अप्रैल 2006 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कु० रीना सिंह को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संलग्न शर्तों के अनुसार एग्रीमैन्ट करना अनिवार्य होगा।

ह०/-
कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

पू०स०: मान्यता/शै०व्य०/2548

दिनांक: 27-03-2006

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. कु० रीना सिंह, कमरा नं०-11, वर्किंग वूमन हॉस्टिल, वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली (राजस्थान)
2. विभागाध्यक्ष/परिसर विभागाध्यक्ष, चित्रकला विभाग डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल/एस०एस०जे० परिसर, अल्मोड़ा।
3. परिसर संकायाध्यक्ष कला संकाय, एस०एस०कजे० परिसर, अल्मोड़ा।
4. समन्वयक अधिष्ठाता, एस०एस०जे० परिसर, अल्मोड़ा।
5. वित्त अधिकारी, कु०वि०वि०, नैनीताल।
6. सहायक लेखाधिकारी, एस०एस०जे० परिसर, अल्मोड़ा।
7. अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।

(एस०सी० जोशी)
कुलसचिव

नियुक्ति/विज्ञप्ति

17

31

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 31(4)(b) के अन्तर्गत गठित चयन समिति तथा विश्वविद्यालय प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 19-11-1986 के प्रस्ताव संख्या 17/86 के आधार पर विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के निम्ने प्रवक्ता के पदों पर वेतनमान रु 700-40-1100-50-1600 पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को वर्णित वरिष्ठता क्रम से प्रत्येक के सम्मुख शक्ति आस्थाई/अवकाश रिक्ति में नियुक्त किया जाता है :-

- 1- डा० श्रीमती! निर्मला शीरा अस्थाई नियुक्ति
द्वारा- अर्थशास्त्र विभाग
अल्मोड़ा परिसर (फंटेक महाविद्यालय)
अल्मोड़ा ।
- 2- डा० रामेश्वर सिंह जलाल अस्थाई नियुक्ति
द्वारा- अर्थशास्त्र विभाग
अल्मोड़ा परिसर (फंटेक महाविद्यालय)
अल्मोड़ा ।
- 3- डा० पदम सिंह वैष्णव अस्थाई नियुक्ति
कोटवारा लौज, अगरपाटा
नैनीताल ।
- 4- डा० गोविन्द बल्लभ पन्त डा० दर्शनमोहन के
द्वारा- डा० के०सी० पन्त, अवकाश पे रिक्त पद
उपाचार्य भौतिक विज्ञान विभाग के पापेक्ष
१।-बी१ स्लीपी बौलो, नैनीताल

नियुक्ति की शर्तें प्रत्येक को उनके नियुक्ति आदेश में स्पष्ट की जाएंगी । उक्त अभ्यर्थियों को पोस्टिंग आर्डर वाद में निर्मित किये जाएंगी, तब तक उक्त अभ्यर्थी जेप फंटेक महाविद्यालय में तदर्थ रूप से कार्यरत हैं, वहीं अपना-अपना कार्यभार ग्रहण कर लें ।

आज्ञा है

१एम०डी० उपाध्याय
कुलपति

पृ०स० मानता/ 1376

दिनांक 1-12-86

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- सम्बन्धित व्यक्तियों को ।
- 2- निदेशक, अल्मोड़ा फंटेक महाविद्यालय अल्मोड़ा/डी०एस०बी० फंटेक महाविद्यालय, नैनीताल ।
- 3- संकायप्रमुख कला संकाय, डी०एस०बी० फंटेक महाविद्यालय, नैनीताल ।
- 4- वित्त अधिकारी, कम्पाउ विश्वविद्यालय, नैनीताल ।
- 5- पद लेखाधिकारी, फंटेक महाविद्यालय, अल्मोड़ा/नैनीताल ।
- 6- व्यक्तिगत पत्रावली ।
- 7- अभिलेख पत्रावली ।

१एम०डी० पन्त
कुलपति

कुमार्य विश्वविद्यालय, मैनीताल
नियुक्ति/विज्ञापित

16

32

विज्ञापित संख्या: मान्यता/

दिनांक 19-8-88

विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 31(4)(ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा विश्वविद्यालय कार्य-परिचर की बैठक दिनांक 19 अगस्त, 1988 के मद संख्या 48(13) के आधार पर शीरजनीरा पाण्डे, जमी कुटीर, तल्लीताल, मैनीताल को कार्यभार ग्रहण तिथि से पुर्वका अधीनस्थ वेतनमान Rs 2200-4000 में कुमार्य विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा संघटक महाविद्यालय अल्मोड़ा में डा० रवी मोहन की अवकाश रिक्ति पर नियुक्त किया जाता है।

श्री पाण्डे को पुर्वका अधीनस्थ के पद पर उक्त वेतनमान में Rs 2200/- प्रारम्भिक वेतन तथा उस पर अनुमान्य भत्ते देये होंगे।

डा० रवीमोहन पुर्वका अधीनस्थ के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को श्री पाण्डे को सेवायें समाप्त हो जायेगी।

श्री पाण्डे को उक्त संघटक महाविद्यालय में नियुक्त पद पर दिनांक 31-8-88 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति निरस्त हो जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तत्काल तार द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है।

यस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डा० श्री पाण्डे को कोई मार्ग व्यव इत्यादि देय नहीं होगा।

[एम०डी० उपाध्याय]
कुमति

दिनांक: 19-8-88

प्रतिसमान्यता/

909

प्रतिनिधि: सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित: -

- 1- श्री रजनीरा पाण्डे, जमी कुटीर, तल्लीताल मैनीताल।
- 2- निदेशक, अल्मोड़ा संघटक महाविद्यालय, अल्मोड़ा।
- 3- विलत अधिकारी कुमार्य विश्वविद्यालय मैनीताल
- 4- चड देवा अधिकारी, अल्मोड़ा संघटक महाविद्यालय अल्मोड़ा।
- 5- अभिलेख प्रदायत्री।
- 6- वार्डन प्रदायत्री।

[आर० सी० वन्त]
कुममति



कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन के विनियमितकरण नियमावली 2013 संख्या - 1298/XXX(2)/ 2013-3(1) 2006, दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 एवं उत्तराखण्ड शासन शिक्षा अनुभाग - 6 (उच्च शिक्षा) के शासनादेश संख्या: 17/XXIV(6)/2017-12(21)/2014, दिनांक जनवरी 03, 2017 में संलग्न सूची के आलोक में संविदा शिक्षकों के विनियमितकरण के संदर्भ में गठित समितियों के संस्तुति पर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 138वीं बैठक के मद संख्या -12 पर लिये गये निर्णय के क्रम में निम्नलिखित संविदा शिक्षक को सम्बन्धित विभाग में रिक्त पद के सापेक्ष सहायक प्राध्यापक के पद पर वेतनमान रु 15,600 - 39,100, ग्रेड वेतन रु 6,000/- में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से समायोजित किया जाता है:-

क्रम संख्या	संविदा शिक्षक का नाम	विभाग का नाम	परिसर
1	डॉ० नन्दन सिंह बिष्ट	अर्थशास्त्र विभाग	डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल

उक्त समायोजन/विनियमितकरण निम्न प्रतिबन्धों के अधीन की जा रही है:

- 1- यदि भविष्य में राज्य सरकार/कुलाधिपति सचिवालय द्वारा तत्सम्बन्धी कोई प्रतिकूल आदेश / निर्देश निर्गत होते हैं, तो उपरोक्तानुसार विनियमित/समायोजित किये गये शिक्षक पर आदेश/निर्देश मान्य होंगे।
- 2- यदि मा० न्यायालय से तत्सम्बन्धी कोई प्रतिकूल आदेश पारित होते हैं, तो वे तदनुसार तत्काल प्रभाव से लागू माने जायेंगे तथा उपरोक्त समायोजित शिक्षक की इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति ग्राह्य नहीं होगी।

(प्रो० डी० के० नीडियाल)

कुलपति

पत्रांक: कार्मिक/शै०व्य०/सामान्य/पीईआर/2018/415/2

दिनांक: 23/10/2018

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- उपरोक्त संविदा शिक्षक।
- 2- संकायाध्यक्ष/परिसर संकायाध्यक्ष, कला संकाय, डी० एस० बी० परिसर नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर अल्मोड़ा।
- 3- विभागाध्यक्ष/परिसर विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, डी० एस० बी० परिसर नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर अल्मोड़ा।
- 4- वित्त अधिकारी, कु०वि० नैनीताल।
- 5- सहायक लेखाधिकारी, डी० एस० बी० परिसर नैनीताल को इस आशय के साथ कि सम्बन्धित सहायक प्राध्यापक को कार्यभार ग्रहण करने की आख्या अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6- निदेशक, डी० एस० बी० परिसर नैनीताल।
- 7- निजी सचिव कुलपति को मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 8- अभिलेख पत्रावली।

(डॉ० महेश कुमार)
कुलसचिव

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम की 1973 की धारा-31(4)(ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22-12-2007 के मद संख्या-8(3) के अन्तर्गत लिये गये निर्णयानुसार डा0 ललित मोहन जोशी, उपाचार्य, अंग्रेजी विभाग, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आचार्य, अंग्रेजी के पद पर वेतनमान रु0 16400-450-500-22400 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल में अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है।

डा0 जोशी आचार्य, अंग्रेजी विभाग के पद पर उक्त वेतनमान में रु0 16400 वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डा0 जोशी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डा0 जोशी उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 22-1-2008 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डा0 जोशी को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

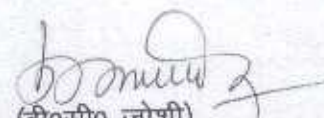

(सी0पी0 बर्थवाल)
कुलपति

पृष्ठांकन मान्यता/पीईआर/1337

दिनांक: 22-12-2007

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- डा0 ललित मोहन जोशी, उपाचार्य, अंग्रेजी विभाग, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल।
- 2- परिसर विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल।
- 3- विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग, एस0एस0 जीना परिसर, अल्मोड़ा।
- 4- समन्वयक अधिष्ठाता डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल।
- 5- सकायाध्यक्ष, कला सकाय, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल।
- 6- वित्त अधिकारी, कु0वि0वि0 नैनीताल।
- 7- सहायक लेखाधिकारी, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल।
- 8- अभिलेख पत्रावली।


(बी0सी0 जोशी)
कुलसचिव

उपा0/-

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

नियुक्ति/विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.05.2009 के मद संख्या 22 पर लिये गये निर्णयानुसार डॉ० हरिप्रिया पाठक, द्वारा श्री बी० डी० पाठक, ग्राम बिठौरिया नं० 02 पो० ऑ० कठघरिया ब्लाक, हल्द्वानी (नैनीताल) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता अंग्रेजी (अनारक्षित) के पद पर वेतनमान रु० 8000-275-13500 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डॉ० हरिप्रिया पाठक को प्रवक्ता अंग्रेजी (अनारक्षित) के पद पर उक्त वेतनमान तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डॉ० हरिप्रिया पाठक को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

डॉ० हरिप्रिया पाठक को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 23 जून, 2009 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ० हरिप्रिया पाठक को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

कुलपति

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

पृ० सं० - मान्यता/शै०व्य०/241

दिनांक: 23-5-2009

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. डॉ० हरिप्रिया पाठक, द्वारा श्री बी० डी० पाठक, ग्राम बिठौरिया नं० 02 पो० ऑ० कठघरिया ब्लाक, हल्द्वानी (नैनीताल)।
2. विभागाध्यक्ष/परिसर विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग, एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा/डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
3. संकायाध्यक्ष/परिसर संकायाध्यक्ष, कला संकाय, एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा/डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
4. समन्वयक अधिष्ठाता, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
6. वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
7. सहायक लेखाधिकारी, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
8. अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।

(बी० सी० जोशी)
कुलसचिव

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)



KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 मई, 2013 के मद संख्या 03 पर लिये गये निर्णयानुसार डा० शिवांगी चनियाल पुत्री श्री डी०आर० चनिचाल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक प्राध्यापक (अंग्रेजी) के पद पर वेतनमान 15600-39100+6000 ए०जी०पी में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल में अंग्रेजी विभाग में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। शिक्षण एवं प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डा० चनियाल को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

डा० चनियाल को सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी (अनुसूचित जाति) पद के सापेक्ष अनुमन्य वेतनमान के प्रारंभिक स्तर एवं उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

डा० चनियाल को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 मई, 2013 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

उक्त नियुक्ति के सापेक्ष सलग्न अनुबन्ध पत्र (रु० 100.00 नॉन ज्यूडीशियल स्टॉप पेपर में) भरकर एक माह के भीतर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना होगा।

इस पद पर नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या-3077 ऑफ 2012 एवं संख्या-2645 ऑफ 2012 के अधीन इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अन्यथा निर्णय लिया जाता है, तो वह उन्हें मान्य होगा।

कुलपति
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

पू०सं०-मा०/कार्मिक/शै०व्य०/पीईआर/156

दिनांक: 01/05/2013

प्रतिलिपि-

- 1- डा० शिवांगी चनियाल, आनन्दपुरी फेस-11, तल्लीबमोरी नवाबी रोड, हल्द्वानी।
- 2- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
- 3- संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय।
- 4- परिसर निदेशक।
- 5- वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
- 6- सहायक लेखाधिकारी।
- 7- अभिलेख पत्रावली।

कुलसचिव



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.11.2010 के मद संख्या 10/26 पर लिये गये निर्णयानुसार डॉ० जीत राम, वन विज्ञान विभाग, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोफेसर (ओपन) वन विज्ञान के पद पर वेतन बैंड 4, वेतनमान ₹० 37,400-67,000 + 10,000 ए० जी० पी० में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डॉ० जीत राम को प्रोफेसर, वन विज्ञान के पद पर वेतनमान ₹० 37,400-67,000 में ₹० 43,000/- प्रारम्भिक वेतन + 10,000 ए० जी० पी० एवं समय-समय पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डॉ० जीत राम को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डॉ० जीत राम को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ० जीत राम को कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

कुलपति

पृ० सं० - मान्यता/शै०व्य०/1466 (1)

दिनांक: 30.11.2010

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. डॉ० जीत राम, वन विज्ञान विभाग, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
2. विभागाध्यक्ष/परिसर विभागाध्यक्ष, वन विज्ञान विभाग, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जी० परिसर, अल्मोड़ा।
3. संकायाध्यक्ष/परिसर संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जी० परिसर, अल्मोड़ा।
4. परिसर निदेशक, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
5. वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. सहायक लेखाधिकारी, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
7. अभिलेख प्रसाधनी/व्यक्तिगत पत्रावली।

कुलसचिव

30/11/2010

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गांठत ध्यान समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.11.2010 के मद संख्या 10/26 पर लिये गये निर्णयानुसार डॉ० जीत राम, वन विज्ञान विभाग, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोफेसर (ओपन) वन विज्ञान के पद पर वेतन ग्रेड 4, वेतनमान रु० 37,400-67,000 + 10,000 ए० जी० पी० में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डॉ० जीत राम को प्रोफेसर, वन विज्ञान के पद पर वेतनमान रु० 37,400-67,000 में रु० 43,000/- प्रारम्भिक वेतन + 10,000 ए० जी० पी० एवं समय-समय पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डॉ० जीत राम को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डॉ० जीत राम को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ० जीत राम को कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

कुलपति

पृ० सं० - मान्यता/सौ०/1466(1)

दिनांक: 30.11.2010

प्रतिनिधि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. डॉ० जीत राम, वन विज्ञान विभाग, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
2. विभागाध्यक्ष/परिसर विभागाध्यक्ष, वन विज्ञान विभाग, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
3. मंडलाध्यक्ष/परिसर मंडलाध्यक्ष, विज्ञान मंडल, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
4. परिसर निदेशक, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
5. वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. सहायक लेखाधिकारी, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
7. अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।


30/11/2010
कुलसचिव

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल
कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित व्यय समिति की संस्तुति तथा विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 31 जुलाई, 1999 के मद संख्या 17 पर लिये गये निर्णयानुसार डा० लक्ष्मणसिंह लोधियाल द्वारा श्री पी०एस० रौतेला, स्टोनले कम्पाउण्ड, तल्लीताल, नैनीताल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता वन विज्ञान के पद पर वेतनमान रु० 8000-275-13500 में विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा परिसर अल्मोड़ा में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डा० लोधियाल को प्रवक्ता वनविज्ञान के पद पर वेतनमान रु० 8000/- प्रारम्भिक वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डा० लोधियाल को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनिर्णयमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डा० लोधियाल को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 21-8-1999 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डा० लोधियाल को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

आज्ञा से,

ह/—

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

पृ०स० मान्यता/नियुक्ति/559

दिनांक 31-7-1999

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- डा० लक्ष्मणसिंह लोधियाल, द्वारा श्री पी०एस० रौतेला स्टोनले कम्पाउण्ड, तल्लीताल नैनीताल।
- 2- अधिष्ठाता छात्र कल्याण, कु०वि०वि० (डी०एस०बी० परिसर) नैनीताल / (अल्मोड़ा परिसर) अल्मोड़ा।
- 3- सहायक कला/विज्ञान/वाणिज्य/शिक्षा/विधि सहाय, कु०वि०वि० नैनीताल।
- 4- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
- 5- वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
- 6- सहायक लेखाधिकारी, कु०वि०वि० परिसर नैनीताल/अल्मोड़ा।
- 7- अभिलेख पत्रावली।

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12-07-2005 के मद संख्या-9 पर लिए गए निर्णयानुसार डॉ० आशीष तिवारी रामनिवास, मल्लीताल, नैनीताल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता वन विज्ञान के पद पर वेतनमान रू० 8,000-275-13,500 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डॉ० तिवारी को प्रवक्ता, वन विज्ञान के पद पर उक्त वेतनमान में रू० 8,000/-प्रारम्भिक वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक हित में डॉ० तिवारी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डॉ० तिवारी को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 जुलाई, 2005 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ० तिवारी को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

JKUL

कुलपति 13.7.05

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

पु०स०मान्यता/शै०व्यव०/पीईआर/667 (5)

दिनांक 13 जुलाई, 2005

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- डॉ० आशीष तिवारी रामनिवास, मल्लीताल, नैनीताल।
- 2- विभागाध्यक्ष, वन विज्ञान विभाग, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 3- समन्वयक अधिष्ठाता, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 4- संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 5- वित्त अधिकारी, कु०वि०वि०, नैनीताल।
- 6- सहायक लेखाधिकारी, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 7- अभिलेख/व्यक्तिगत पत्रावली।

13/7/05

(सुरेश चन्द्र जोशी)
कुलसचिव

copy

कुमार्य विश्वविद्यालय, नैनीताल ।

कुमार्य विश्वविद्यालय की नियुक्ति/विनियुक्ति आदेश संख्या मान्यता/1600 दिनांक 23 अगस्त, 1979 (प्रतिलिपि संलग्न) के क्रम में श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डे द्वारा श्री जे०पी० जोशी, ओक लोड, मल्लीताल, नैनीताल की कार्यभार ग्रहण तिथि से प्रवर्तता भूगोल के पद पर वेतनमान ₹ 700-1600 में कुमार्य विश्वविद्यालय के सैंपटक अम्बोड़ा महाविद्यालय, अम्बोड़ा में अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है ।
उन्हें प्रवर्तता के उक्त वेतनमान में न्यूनतम मूल वेतन ₹ 700/- तथा अनुमन्य भत्तों का ही भुगतान किया जावेगा ।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डे की नियुक्ति की तिथि से पांच वर्षों के अन्तर्गत पोस्टग्रेडुएट उपाधि प्राप्त करनी होगी अन्यथा वे ऐसी अवधि के पश्चात् वार्षिक वेतन वृद्धि पाने के तब तक हकदार नहीं होंगे जब तक कि वे ऐसी अर्हता प्राप्त न कर लें ।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में उन्हें विश्वविद्यालय के किसी भी सैंपटक महाविद्यालय में स्थानान्तरित किया जा सकता है । विश्वविद्यालय परिनिधियों में निहित सेवा शर्तें उन पर पूर्णरूपेण लागू होंगी ।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डे को उक्त महाविद्यालय में दिनांक 15 सितम्बर 1979 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है । नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त लौटती डाक से विश्वविद्यालय को भेजना अनिवार्य है । कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा ।

₹ 0/- सम्भुदयाल सिंह
कुम्हार कुलपति

पू०सं० मान्यता/ 1624

दिनांक 27/8/79

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हो हेतु प्रेषित -

- 1- सम्बन्धित व्यक्ति को ।
- 2- संस्थाध्यक्ष, अम्बोड़ा सैंपटक महाविद्यालय, अम्बोड़ा / ~~मल्लीताल, नैनीताल~~ ।
- 3- वित्त अधिकारी, कुमार्य विश्वविद्यालय, नैनीताल ।
- 4- व्यक्तिगत पत्रावली ।
- 5- अभिलेख पत्रावली ।

ज्ञान बाजपेयी

कुलसचिव

बीएम/24-3

नियुक्ति/विस्तारित

विस्तारित संख्या/मास्यता/

दिनांक:- 19-8-1988

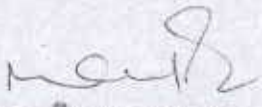
जिल्हाधिकार्यालय अधिनियम, 1973 वी धारा 31(4)ए के अन्तर्गत गठित धन समिती की संस्तुति तथा जिल्हाधिकार्यालय कार्यपरिचय की केबल दिनांक 19 अगस्त 1988 के मद्र संख्या 486(7) के आधार पर डा० पी०सी० तिवारी, भूगोल विभाग, डी०एस०बी०परिसर, संकटक महाकाल्यालय, नेनीताल को कार्यभार ग्रहण तिथि से प्रवृत्ता भूगोल वेतनमान रु 2200/- में 41200 कुमायूँ जिल्हाधिकार्यालय के डी०एस०बी०संकटक महाकाल्यालय, नेनीताल में अर्थाई रम से नियुक्त किया जाता है ।

डा० पी०सी० तिवारी, को प्रवृत्ता भूगोल के पद पर उच्च वेतनमान में रु 2200/- प्रारम्भिक वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे ।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डा० पी०सी० तिवारी को जिल्हाधिकार्यालय के किसी भी संकटक महाकाल्यालय में स्थान्तरित किया जा सकता है । जिल्हाधिकार्यालय परिनियमों में निर्हित सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रम्य लागू होंगी ।

डा० पी०सी० तिवारी को उच्च संकटक महाकाल्यालय में नियुक्त पद पर दिनांक 31-8-88 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है । नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार द्वारा जिल्हाधिकार्यालय को भेजनी आवश्यक है ।

यस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डा० पी०सी० तिवारी को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा ।

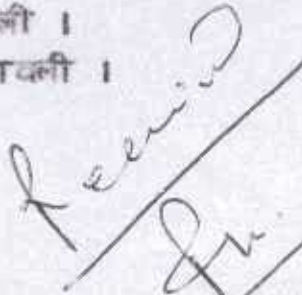
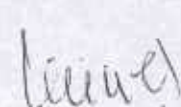

एम०डी०उपाध्याय
कुलपति ।

पृ० सं० - मास्यता/ 911

दिनांक:- 19-8-88

प्रतिलिपि - सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित ।

- 1- डा० पी०सी० तिवारी, भूगोल विभाग, डी०एस०बी०परिसर, संकटक महाकाल्यालय, नेनीताल ।
- 2- संकायाध्यक्ष, कला, डी०एस०बी०संकटक महाकाल्यालय, नेनीताल ।
- 3- वित्त अधिकारी, कुमायूँ जिल्हाधिकार्यालय, नेनीताल ।
- 4- सह सहायक अधिकारी, डी०एस०बी०संकटक महाकाल्यालय, नेनीताल ।
- 5- अभिलेख प्रवाक्ती ।
- 6- व्यवस्थागत प्रवाक्ती ।

9C 
19-8-88 
आर०सी० पन्त
कुलपति ।

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल
कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की सस्तुति तथा विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 31 जुलाई, 1999 के मद संख्या 17 पर लिये गये निर्णयानुसार डा0(कु0) अनीता पाण्डे, हाउस नं० 181-182 जयप्रकाश मार्ग, मल्ली बाजार तल्लीताल, नैनीताल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता भूगोल के पद पर वेतनमान रु० 8000-275-13500 में विश्वविद्यालय के डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डा०(कु०) अनीता पाण्डे को प्रवक्ता भूगोल के पद पर वेतनमान रु० 8000/-प्रारम्भिक वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डा०(कु०) पाण्डे को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डा०(कु०) पाण्डे को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 21-8-1999 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डा०(कु०)पाण्डे को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

आज्ञा से,

80/-

कुलपति,

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

पृ०स० मान्यता/नियुक्ति/5661

दिनांक 31-7-1999

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- डा०(कु०) अनीता पाण्डे, हाउस नं० 181-182 मल्ली बाजार, तल्लीताल नैनीताल।
- 2- अधिष्ठाता छात्र कल्याण, कु०वि०वि० (डी०एस०बी० परिसर) नैनीताल / (अल्मोड़ा परिसर) अल्मोड़ा।
- 3- सहायक कला/विज्ञान/वाणिज्य/शिक्षा/विधि सहाय, कु०वि०वि० नैनीताल।
- 4- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
- 5- वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
- 6- सहायक लेखाधिकारी, कु०वि०वि० परिसर नैनीताल / अल्मोड़ा।
- 7- अभिलेख पत्रावली।

कुलसचिव,

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

नियुक्ति/विज्ञप्ति

स्पीड-पोस्ट

46

42

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.05.2009 के मद संख्या 22 पर लिये गये निर्णयानुसार डॉ० रमेश चन्द्र जोशी, उपाचार्य एवं विभागाध्यक्ष, राजीव गाँधी विश्वविद्यालय रोडो-हिल्स दोईमुख-791112, अरुणांचल प्रदेश को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आचार्य भूगोल के पद पर वेतनमान रु० 16400-450-20900-500-22400 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डॉ० जोशी, आचार्य भूगोल के पद पर उक्त वेतनमान में 16400 प्रारम्भिक वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डॉ० जोशी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डॉ० जोशी को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 23 जून, 2009 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ० जोशी को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

कुलपति

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

पृ० सं० - मान्यता/शै०व्य०/260

दिनांक: 24-05-2009.

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. डॉ० रमेश चन्द्र जोशी, उपाचार्य एवं विभागाध्यक्ष, राजीव गाँधी विश्वविद्यालय रोडो-हिल्स दोईमुख-791112, अरुणांचल प्रदेश।
2. विभागाध्यक्ष/परिसर विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा/डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
3. संकायाध्यक्ष/परिसर संकायाध्यक्ष, कला संकाय, एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा/डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
4. समन्वयक अधिष्ठाता, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
6. वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
7. सहायक लेखाधिकारी, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
8. अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।

कुलसचिव

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

नियुक्ति/विज्ञापित

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.05.2009 के मद संख्या 22 पर लिये गये निर्णयानुसार डॉ० मोहन लाल, प्रवक्ता भूगोल, नेशनल इन्टर कॉलेज, रानीखेत को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता भूगोल (अनुसूचित जाति) के पद पर वेतनमान रु० 8000-275-13500 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डॉ० मोहन लाल को प्रवक्ता भूगोल (अनुसूचित जाति) के पद पर उक्त वेतनमान तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डॉ० मोहन लाल को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डॉ० मोहन लाल को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 23 जून, 2009 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ० मोहन लाल को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

कुलपति
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

दिनांक: 23-5-2009

पृ० सं० - मान्यता/शै०व्य०/236

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. डॉ० मोहन लाल, प्रवक्ता भूगोल, नेशनल इन्टर कॉलेज, रानीखेत।
2. विभागाध्यक्ष/परिसर विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा/डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
3. संकायाध्यक्ष/परिसर संकायाध्यक्ष, कला संकाय, एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा/डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
4. समन्वयक अधिष्ठाता, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
6. विलत अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
7. सहायक लेखाधिकारी, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
8. अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।

(डी० एस० जोशी)
कुलसचिव

9 copy

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल। नियुक्ति/विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की सस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29-6-2004 के मद संख्या-10 पर लिए गए निर्णय एवं महामहिम कुलाधिपति (कु0वि0वि0) के आदेश संख्या-1625/जीएस/Edu/2004, दिनांक 10-11-2004 के द्वारा कु0 मनीषा त्रिपाठी, द्वारा डॉ0 कं0आरु त्रिपाठी, रीडर इन संस्कृत विभाग, एम0एल0के0 पी0जी0 कालेज, बलरामपुर जिला बलरामपुर पिन-271201 (उत्तर प्रदेश) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता, भूगोल के पद पर वेतनमान रु0 8000-275-13500 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल में अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है।

कु0 मनीषा त्रिपाठी को प्रवक्ता भूगोल के पद पर उक्त वेतनमान में रु0 8000/- प्रारम्भिक वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते दिये होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में कु0 मनीषा त्रिपाठी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिणियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

कु0 मनीषा त्रिपाठी को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 12-12-2004 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कु0 मनीषा त्रिपाठी को कोई मार्ग इत्यादि देय नहीं होगा।

रु0/-कुलपति
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

फू0स0मान्यता/श्री0व्यव0/1303

दिनांक 11-11-2004

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनाथे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- कु0 मनीषा त्रिपाठी, द्वारा डॉ0 कं0आरु त्रिपाठी, रीडर इन संस्कृत विभाग, एम0एल0के0 पी0जी0 कालेज, बलरामपुर जिला बलरामपुर पिन-271201 (उत्तर प्रदेश)।
- 2- विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल।
- 3- सहायक कला सहाय, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल।
- 4- समन्वयक अधिष्ठाता, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल।
- 5- वित्त अधिकारी, कु0वि0वि0, नैनीताल।
- 6- सहायक लेखाधिकारी, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल।
- 7- अभिलेख पत्रावली।
- 8- व्यक्तिगत पत्रावली।

(एस0सी0 जाशी)
कुलपति



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

21

46

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यप्रतिवेद की बैठक दिनांक 21.08.2010 के मद संख्या 6/24 पर लिये गये निर्णयानुसार श्री प्रकाश चन्द्र, ग्राम गौतम नगर, पो0 मालधन चौड़, बाया काशीपुर, जिला नैनीताल को कार्यभार ग्रहण करने की लिथि से असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुसूचित जाति) भूगोल के पद पर वेतन बैंड 3, वेतनमान 15600-39100 + 6000 ए0 जी0 पी0 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी0 एस0 बी0 परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

श्री चन्द्र को असिस्टेंट प्रोफेसर, भूगोल के पद पर उक्त वेतनमान का प्रारम्भिक स्तर तथा उस पर अनुमंग्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में श्री चन्द्र को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सजाओं उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

श्री चन्द्र को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 20 सितम्बर, 2010 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार, फ़ैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु श्री चन्द्र को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

नियुक्ति इस प्रतिभाग के साथ प्रदान की जा रही है कि विश्वविद्यालय के विज्ञापन संख्या Affi. Teach/Estb./1545, दिनांक 09.02.2010 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में दायर की संख्या 49/2010 पर माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये अन्तरिम आदेशानुसार उक्त वाद के सामग्री में होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

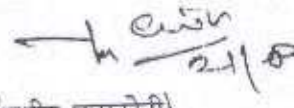
ह0/कुलपति

दिनांक: 21.08.2010

पृ0 सं0 - मान्यता/शै0व्य0/872

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री प्रकाश चन्द्र, ग्राम गौतम नगर, पो0 मालधन चौड़, बाया काशीपुर, जिला नैनीताल।
2. विभागाध्यक्ष/परिसर विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, डी0 एस0 बी0 परिसर, नैनीताल/एस0 एस0 जी0 परिसर, अल्मोड़ा।
3. संकायाध्यक्ष/परिसर संकायाध्यक्ष, कला संकाय, डी0 एस0 बी0 परिसर, नैनीताल/एस0 एस0 जी0 परिसर, अल्मोड़ा।
4. परिसर निदेशक, डी0 एस0 बी0 परिसर, नैनीताल।
5. वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. ग्राहक लेखाधिकारी, डी0 एस0 बी0 परिसर, नैनीताल।
7. अभि. प्र. पंजीवली/व्यक्तिगत पत्रावली।


(सुधीर बुड़ाकोटी)
कुलसचिव

कार्यालय अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय, डी०एस०बी० परिसर, (कु०वि०वि०) नैनीताल।

No Good. 24/4/8/66

ସ୍ୱାଧୀନ-ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ୱା

प्रमाणित किया जाता है कि विश्वज्योत्सालय के आदेश मकान हू.स.मानकता/वि.ई.आर./745 - 1-8-06 के अनुसार इन मकान नं. 4502069 विभाग के एन.वि. 15.5.18.सि.म.अं नं. निम्नलिखित/पेठा ममादि अथवा म के बगलीटो/रखमन्सम्प के कारण दि० 1-7-06 के पूर्व असम्प में आवासीय/उपवासी प्रवक्ता R. S. M. D. S. R. के पद का कार्यभार ग्रहण/रखमन्सम्प किया।

प्रतिदस्ताक्षरित
विभागाध्यक्ष

नाम Dr. K. S. Narani
मुद्रा/मोहक अधिकारी

पत्रांक : १४० / पाँना/पी.०एफ.०/१११-११-०६
१४/५/१०/०६

दिनांक 1-7-56

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
- 2- सहायक लेखाधिकारी, डी०एस०बी० पुरिसर, नैनीताल।
- 3- व्यक्तिगत पत्राचलौ।

0.5 (A4P)

अभिज्ञान,

विज्ञान संकाय, डी०एम०सी० परिसर

Ann Nichols

12

Let

$$\frac{13}{2/1}$$

37

(a2)
(47)

Kumaun University, Nainital

No. Affl./PER /468

Dated: 24-07-2009

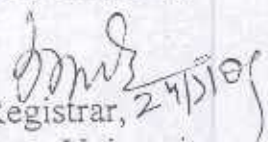
To, Registrar
University of Delhi
DELHI

Sir,

I am directed to forward herewith an application of.....
Dr. Girish Kumar Sharma, Reader in Geology
of this university for the post of Professor in Geology
in your University/Institute.

Encl. As above

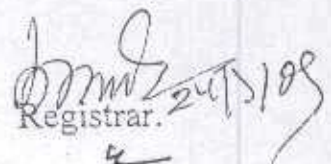
Your's faithfully,


Registrar, 24/7/09
Kumaun University,
Nainital.

Endt./Affl./PER/468 of the date.

Copy forwarded to the following for information and necessary action-

1. Head/Dean, Concerned Deptt./Faculty, D.S.B.Campus, Nainital/
S.S.J.Campus, Almora.
2. Dr./Prof./Sri./Smt. G.K. Sharma, Reader in Geology, Deptt.
D.S.B.Campus, Nainital/ S.S.J.Campus, Almora with the remark that
if he/she is selected to the post applied for, he/she will be relived as
per University rules/dicision of E.C.


Registrar. 24/7/09

9C

64
49

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
नियुक्ति/विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31(4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29-6-2004 के मद संख्या-10 पर लिए गए निर्णयानुसार डॉ० राजीव उपाध्याय, ए-16, जे०के० पुरम्, छोटी मुखानी, हल्द्वानी (नैनीताल) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उपाचार्य, भूविज्ञान के पद पर वेतनमान रु० 12000-425-18300 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डॉ० राजीव उपाध्याय को उपाचार्य भूविज्ञान के पद पर उक्त वेतनमान में रु० 12000/- प्रारम्भिक वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डॉ० राजीव उपाध्याय को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

डॉ० राजीव उपाध्याय को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 जुलाई, 2004 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ० राजीव उपाध्याय को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

ए. कुलपति
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

पृ०सं०मान्यता/शै०व्यव०/47(A)

दिनांक 30 जून, 2004

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- डॉ० राजीव उपाध्याय, ए-16, जे०के० पुरम्, छोटी मुखानी, हल्द्वानी (नैनीताल)
- 2- विभागाध्यक्ष, भूविज्ञान विभाग, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 3- समन्वयक अधिष्ठाता, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 4- परिसर संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 5- वित्त अधिकारी, कु०वि०, नैनीताल।
- 6- सहायक लेखाधिकारी, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 7- अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।


(सुरेश चन्द्र जोशी)
कुलसचिव

(56) (57)

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
नियुक्ति/विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31(4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29-6-2004 के मद संख्या-10 पर लिए गए निर्णयानुसार डॉ० प्रदीप गोस्वामी, 5-न्यू म्यूनिसिपल फ्लैट्स, नया बाजार, तल्लीताल, नैनीताल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उपाचार्य, भूविज्ञान के पद पर वेतनमान रु० 12000-425-18300 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डॉ० प्रदीप गोस्वामी को उपाचार्य भूविज्ञान के पद पर उक्त वेतनमान में रु० 12000/- प्रारम्भिक वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डॉ० प्रदीप गोस्वामी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

डॉ० प्रदीप गोस्वामी को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 जुलाई, 2004 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ० प्रदीप गोस्वामी को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

रु०/- कुलपति
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

पृ०सं०मान्यता/शै०व्यव०/476

दिनांक 30 जून, 2004

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- डॉ० प्रदीप गोस्वामी, 5-न्यू म्यूनिसिपल फ्लैट्स, नया बाजार, तल्लीताल, नैनीताल।
- 2- विभागाध्यक्ष, भूविज्ञान विभाग, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 3- समन्वयक अधिष्ठाता, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 4- परिसर संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 5- वित्त अधिकारी, कु०वि०, नैनीताल।
- 6- सहायक लेखाधिकारी, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 7- अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।

(सुरेश चन्द्र जोशी)

कुलसचिव



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

14

51

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपत्रिका की बैठक दिनांक 30.11.2010 के मद संख्या 10/26 पर लिये गये निर्णयानुसार कु० दीपा आर्या, पुत्री श्री एम० आर० आर्या, द्वारा प्रो० दीपक सी० श्रीवास्तव, अर्थसाइन्सेज विभाग, आई० आई० टी० रुड़की -247667 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुसूचित जाति) भू-विज्ञान के पद पर वेतन बैंड 3, वेतनमान 15600-39100 + 6000 ए० जी० पी० में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

कु० आर्या को असिस्टेंट प्रोफेसर, भू-विज्ञान के पद पर उक्त वेतनमान का प्रारम्भिक स्तर तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में कु० आर्या को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निर्हित तथा समय-समय पर निर्हित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

कु० आर्या को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कु० आर्या को कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

कुलपति

पृ० सं० - मान्यता/शै०व्य०/ 1468(8)

दिनांक: 30.11.2010

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. कु० दीपा आर्या, पुत्री श्री एम० आर० आर्या, द्वारा प्रो० दीपक सी० श्रीवास्तव, अर्थसाइन्सेज विभाग, आई० आई० टी० रुड़की -247667
2. विभागाध्यक्ष, भू-विज्ञान, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
3. संकायाध्यक्ष/परिसर संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
4. परिसर निदेशक, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
5. वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. सहायक लेखाधिकारी, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
7. अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।

30/11/2010
कुलसचिव



कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन के विनियमितीकरण नियमावली 2013, संख्या- 1298/XXX (2)/2013-3(1) 2006, दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 एवं शिक्षा (उच्च शिक्षा) अनुभाग-06 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 737/xxiv (6)/2016-23(4)/2012, दिनांक 25 जुलाई, 2016 के आलोक में संविदा शिक्षकों के विनियमितीकरण के संदर्भ में गठित समितियों एवं वरिष्ठ अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल की विधिक राय आदि के निर्णयों के कम में निम्नलिखित संविदा शिक्षकों को सम्बन्धित विभागों में रिक्त पदों के सापेक्ष सहायक प्राध्यापक के पद पर वेतनमान रु0 15,600/- रु0 39,100/- एवं ग्रेड वेतन रु0 6,000/- में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, से अधोलिखित प्रतिबन्धों के साथ समायोजित किया जाता है :

- 1- यदि भविष्य में राज्य सरकार / कुलाधिपति सचिवालय द्वारा इस सम्बन्ध में शासनादेश/आदेश निर्गत होते हैं वे उपरोक्तानुसार समायोजित किये गये शिक्षकों को मान्य होंगे।
- 2- यदि मा0 न्यायालय द्वारा तत्सन्दर्भ में कोई अन्यथा आदेश पारित होते हैं, तो वे तदनुसार तत्काल प्रभाव से लागू माने जायेंगे एवं सम्बन्धित शिक्षकों को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं होगी।

क्रम सं0	संविदा शिक्षक का नाम	विभाग का नाम	परिसर
1	डॉ0 शशि पाण्डे	हिन्दी	डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल
2	डॉ0 नवीन चन्द्र भट्ट	योग शिक्षा	एस0एस0जे0 परिसर, अल्मोडा

कुलपति

पत्रांक: कार्मिक/शै0व्य0/पीईआर/समायोजन/ 2016/808 दिनांक : 17/08/2016

- 1- डॉ0 शशि पाण्डे, हिन्दी विभाग, डी0एस0बी0, परिसर, नैनीताल।
- 2- डॉ0 नवीन चन्द्र भट्ट, योग विभाग, एस0एस0जे0, परिसर, अल्मोडा।
- 3- संकायाध्यक्ष/परिसर संकायाध्यक्ष कला संकाय, डी0एस0बी0, परिसर, नैनीताल/ एस0एस0जे0 परिसर, अल्मोडा।
- 4- विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल।
- 5- समन्वयक, योग. शिक्षा विभाग, एस0एस0जे0 परिसर, अल्मोडा।
- 6- परिसर निदेशक, डी0एस0बी0, परिसर, नैनीताल/ एस0एस0जे0 परिसर, अल्मोडा।
- 7- वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
- 8- सहायक लेखाधिकारी, डी0एस0बी0, परिसर, नैनीताल/एस0एस0जे0 परिसर, अल्मोडा को इस आशय के साथ की सम्बन्धित सहायक प्राध्यापकों को कार्यभार ग्रहण करने की आख्या एवं संदर्भ में वांछित शैक्षिक अर्हता सम्बन्धित समस्त प्रमाणकों की प्रमाणित छाया प्रतियाँ इस कार्यालय को भी उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।
- 9- निजी सचिव कुलपति को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
- 10- अभिलेख पत्रावली।

कुलसचिव

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल ।

नियुक्ति/विधित

विधि सं- 1247

दिनांक 20 दिसम्बर, 93

विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 31(4)(ए) के अन्तर्गत गठित वयन समिति की संतुष्टि तथा विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28-12-93 के मद्र संख्या-25 के आधार पर आओकुओ निर्माता देवा, नयाल काटेज, तल्लीताल, नैनीताल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवृत्ता, हिन्दी के पद पर वेतनमान रू 2200-75-2800-100-4800 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी.एस.सी. परिषद, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। प्रवृत्ता पदों पर नियुक्ति हेतु शोध छात्र संघ में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखल की है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका पर बाउ में निष्पत्ति आने वाला निर्णय इस नियुक्ति पर पूर्ण रूप से लागू होगा।

आओकुओ देवा को प्रवृत्ता के पद पर वेतनमान रू 2200/- प्रारम्भिक वेतन तथा उस अनुसूची प्रत्येक देय होगी।

क्रियण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में आओकुओ देवा को विश्वविद्यालय के किसी भी संटक महाविद्यालय में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवाओं उन पर पूर्ण रूप से लागू होगी।

आओकुओ देवा को उक्त संटक महाविद्यालय में नियुक्त पद पर दिनांक 12-1-1994 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा। अन्धका नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है।

इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आओकुओ देवा को शोध भाग समय इत्यादि देय नहीं होगा।

प्रो. ए.जी.सी.
समन्वयक जोशी
कुलपति

दिनांक दिसम्बर, 93

पू.सं. मान्यता/नि.वि. 1247

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचना एवं आवाक्य कार्यवाही हेतु -

- 1- आओकुओ निर्माता देवा, नयाल काटेज, तल्लीताल, नैनीताल।
- 2- संकायाध्यक्ष, कला, डी.एस.सी. परिषद, नैनीताल।
- 3- निदेशक, डी.एस.सी. परिषद, नैनीताल।
- 4- वित्त अधिकारी।
- 5- सह लेखाधिकारी, डी.एस.सी. परिषद, नैनीताल।
- 6- अभिलेख प्रकाशनी।
- 7- दयाविज्ञापन प्रकाशनी।

MS. 28/XII
कुलपति,

कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

Received
one copy
22.12.93

12

54

100 -
100 Rs. 50
RS

Tilgan

6-4-2002

9/c

onailash Mangani

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल
कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 6 अप्रैल, 2002 के मद संख्या 19 पर लिये गये निर्णयानुसार डॉ० (कु०) शुभा मटियानी, तल्ली बमौरी, हल्द्वानी (नैनीताल) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता हिन्दी के पद पर वेतनमान रु० 8000-275-13500 में विश्वविद्यालय के डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डॉ० (कु०) मटियानी को प्रवक्ता के उक्त वेतनमान में रु० 8000/-प्रारम्भिक वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डॉ० (कु०) मटियानी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डॉ० (कु०) मटियानी को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 15-4-2002 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ० (कु०) मटियानी को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

EO/-
कुलपति,

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

पृ० सं० मान्यता/नियुक्ति/२५

दिनांक 6-4-2002

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- डॉ० (कु०) शुभा मटियानी, तल्ली बमौरी, हल्द्वानी (नैनीताल)।
- 2- अधिष्ठाता छात्र कल्याण, कु० वि० वि० (डी० एस० बी० परिसर) नैनीताल।
- 3- सहायक अध्यापक कला संकाय, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
- 4- विभागाध्यक्ष हिन्दी विभाग, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
- 5- वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
- 6- सहायक लेखाधिकारी, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
- 7- अभिलेख पत्रावली।

कुलसचिव,

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

क्याउं विश्वविद्यालय, मैनीताल ।

नियुक्त/विधित

विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 31(4)(ए) के अन्तर्गत
गठित वृत्त समिति को संज्ञित तथा विश्वविद्यालय कार्यकारिण्ड की बैठक
दिनांक 28-12-93 के अगु संख्या-25 के आधार पर आ[कु] वन्दुका, मैनी
जोड़ी काटेज, अवार भाट, मल्लीताल, मैनीताल को रु 2200-75-2900-4000
में क्याउं विश्वविद्यालय के डीएसओओ परिसर/संयुक्त महाविद्यालय, मैनीताल
में ^{6381AT 421} ~~2200~~ रु. के नियुक्त किया जाता है । पुरवता पदों पर नियुक्ति हेतु
शोध छात्र सं. ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है । अतः
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका पर याद में लिख जाने वाला निर्णय
इस नियुक्ति पर पूर्ण रूप से लागू होगा ।

आ[कु] मैनी को पुरवता के रु. पर वेतनमान रु. 2200/- पारिभ्य
वेतन तथा उस पर अनुमान्य भुगतान देय होंगे ।

विश्वविद्यालय प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत आ[कु] मैनी को विश्वविद्यालय
के किसी भी संयुक्त महाविद्यालय में स्थानान्तरित किया जा सकता है ।
विश्वविद्यालय परिनिष्ठावली में निर्दिष्ट तथा समय-समय पर निर्दिष्ट होने वाली
सेवाओं उन पर वृत्त रूप से लागू होंगे ।

आ[कु] मैनी को उच्च संयुक्त महाविद्यालय में नियुक्त पद पर
दिनांक 12-1-94 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा । अन्यथा नियुक्ति निरस्त
की जा सकती है । नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त बाद द्वारा
विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है ।

इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आ[कु] मैनी को कोई भान
लगाना इत्यादि देय नहीं होगा ।

जे.एस.ओ.-
एसओओ जोड़ी
हस्ताक्षर

दिनांक 20 दिसम्बर, 93

पू.सं.-मान्यता/निर्वाण/1250

- प्रतिपाद्यि- निम्नांकित को सूचनाय एवं आवश्यक सामग्री हेतु-
- 1- आ[कु] वन्दुका मैनी, जोड़ी काटेज, मल्लीताल, मैनीताल ।
 - 2- निदेशक, डीएसओओ परिसर, मैनीताल ।
 - 3- संकायाध्यक्ष, क्या, डीएसओओ परिसर, मैनीताल ।
 - 4- विस्तार अधिकारी ।
 - 5- सह सेवाधिकारी, डीएसओओ परिसर, मैनीताल ।
 - 6- अभिलेख प्रशासकी ।
 - 7- व्यक्तिगत प्रशासकी ।

महेश्वर 28/11
हस्ताक्षर,

क्याउं विश्वविद्यालय, मैनीताल ।

Received
[Signature]

रन. सं. 1/250

[Signature]

9

(5)

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
कार्यालय आदेश

(58)

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4)(ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 के मद संख्या-05 पर लिये गये निर्णयानुसार डा० शिरीष कुमार मौर्य, द्वारा श्री एच०सी० जोशी, अल्का होटल, गॉंधी चौक रानीखेत (अल्मोड़ा) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उपाचार्य, हिन्दी के पद पर वेतनमान रु० 12000-420-18300 में विश्वविद्यालय के डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल में अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है।

डा० एस०के०मौर्य उपाचार्य, हिन्दी के पद पर वेतनमान रु० 12000-00 प्रारंभिक वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डा० मौर्य को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहत होने वाले सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डा० मौर्य को परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 30-11-2007 तक अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त फ़ैक्स/तार द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डा० मौर्य को कोई भी मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

आज्ञा से,
ह०/-कुलपति
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल
दिनांक: 31-10-2007

पू०सं०:मान्यता/पीईआर/नियुक्ति/1095

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- डा० शिरीष कुमार मौर्य द्वारा श्री एच०सी० जोशी, अल्का होटल, गॉंधी चौक, रानीखेत, (अल्मोड़ा)।
- 2- परिसर विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 3- विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, एस०एस० जीना परिसर, अल्मोड़ा।
- 3- परिसर संकायाध्यक्ष कला संकाय, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 4- संकायाध्यक्ष, कला/विज्ञान/वाणिज्य, एस०एस०जे० परिसर, अल्मोड़ा/डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 5- समन्वयक अधिष्ठाता, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 6- वित्त अधिकारी, कु०वि०वि०, नैनीताल।
- 7- सहायक लेखाधिकारी, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 8- सहायक कुलसचिव, मान्यता/शोध/परीक्षा/गोपनीय अनुभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
- 9- निजी सचिव कुलपति को कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा के अनुसार कार्यवाही
से सम्बन्धित सार्वजनिक पत्र प्रसारित
शिरीष

कुलसचिव
(बी०सी०जोशी)

(92)
(57)

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 26.07.2008 के मद संख्या 08 पर लिये गये निर्णयानुसार डॉ० गिरधर सिंह नेगी, उपाचार्य, इतिहास विभाग, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल को कैरियर एडवान्समेंट स्कैम के अन्तर्गत निहित प्रावधानानुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से रु० 16400-450-20900-500-22400 में आचार्य के रूप में वैयक्तिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त क्लीयरेंस (Clearance) पर निर्भर करेगी। आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में जो भी निर्णय दिया जायेगा वह अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

कुलपति

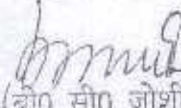
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

पृ० सं० - मान्यता/शै०व्य०/527

दिनांक: 26-07-2008.

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. डॉ० गिरधर सिंह नेगी, उपाचार्य, इतिहास विभाग, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
2. विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
3. संकायाध्यक्ष, कला संकाय, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
4. समन्वयक अधिष्ठाता, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
5. वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. सहायक लेखाधिकारी, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
7. अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।


(बी० सी० जोशी)
कुलसचिव

o/c

(4)

कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल
पत्रांक/मान्यता/अं०का०/विनियमित/185

दिनांक 22 मई, 1998

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 31(3)(सी) के अन्तर्गत कुमाऊं विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22 मई, 1998 के मद संख्या/5 पर लिए गए निर्णयानुसार वर्तमान में कार्यरत निम्नांकित अंशकालिक प्रवक्ताओं को दिनांक 22 मई, 1998 अथवा विनियमितीकरण के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से प्रवक्ता पद के मूल वेतन रु० 2200/- पर विनियमित किया जाता है :

अंशकालिक प्रवक्ता का नाम	विभाग एवं परिसर (कार्य स्थल)
1 डा० दीपा भास्कर,	अर्थशास्त्र विभाग, अल्मोड़ा परिसर, अल्मोड़ा
2 डा० एच०सी० जोशी	तदेव
3 डा० आशा श्रीवास्तव	गणित विभाग, अल्मोड़ा परिसर, अल्मोड़ा
4 डा० बी०सी० तिवारी	तदेव
5 डा० मधुलता सनवाल	मनोविज्ञान विभाग, अल्मोड़ा परिसर, अल्मोड़ा
6 डा० हेमा तिवारी	जन्तुविज्ञान, डी०एस०बी०परिसर, नैनीताल
7 कु० इला घपोला	जन्तुविज्ञान अल्मोड़ा परिसर, अल्मोड़ा
8 डा० जी०पी० पाण्डे	इतिहास विभाग, डी०एस०बी०परिसर, नैनीताल
9 डा० बी०डी०एस० नेगी	इतिहास विभाग, अल्मोड़ा परिसर, अल्मोड़ा
10 डा० सावित्री कैड़ा	इतिहास विभाग, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल
11 डा० शुचि बोरा	भौतिकी विभाग, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल
12 डा० पी०एस० बिष्ट	भौतिकी विभाग, अल्मोड़ा परिसर, अल्मोड़ा
13 श्री अमित कुमार पंत	विधि विभाग, अल्मोड़ा परिसर, अल्मोड़ा
14 डा० एच०बी० कोठारी	संस्कृत विभाग, अल्मोड़ा परिसर, अल्मोड़ा

2/ विनियमितीकरण के फलस्वरूप उपर्युक्त प्रवक्ताओं की वेतन वृद्धि दिनांक 22/5/1998 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि जो भी बाद में हो, के एक वर्ष उपरान्त से अनुमन्य होगी ।

आज्ञा से,
(प्रो० बी०एस० राजपूत)

कुलपति
तद् दिनांक

प्रो०मान्यता/अं०का०/विनियमितीकरण/
प्रतिलिपि:

1/ उपरोक्त समस्त अंशकालिक प्रवक्ताओं को इस आशय से प्रेषित कि उन्हें कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा तथा कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नांकित

...2...



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 138/XXIV(6)/2009, दिनांक 11 नवम्बर, 2009 एवं यू० जी० सी० रेग्यूलेशन 2010 (6.8.0 का 3.2) में निहित प्रावधानानुसार निम्नलिखित उपाचार्य पद पर नियुक्ति/प्रोन्नत शिक्षकों को उनके सम्मुख उल्लिखित कॉलम सं० 06 में अंकित तिथि से सह-प्राध्यापक (Associate Professor) पदनाम स्वीकृत करते हुए वेतन बैंड - 4, वेतनमान ₹ 37400-67000 + 9000 AGP स्वीकृत किया जाता है।

क्रम	नाम	विभाग	परिसर	वेतनमान 15600-39100 + 8000 AGP में स्वीकृति तिथि	एसोसिएट प्रोफेसर पर 03 वर्ष पूर्ण करने की तिथि एवं वेतनमान 37400-67000 + 9000 AGP स्वीकृत करने की तिथि
1	2	3	4		6
1-	डॉ० ज्योति जोशी	समानाशास्त्र	नैनीताल	31.07.2008	31.07.2011
2-	डॉ० संजय थिलिडयाल	इतिहास	नैनीताल	सीधी भर्ती	26.07.2011
3-	डॉ० लक्ष्मण सिंह लोधियाल	वन विज्ञान	नैनीताल	31.07.2008	31.07.2011
4-	डॉ० अनीता पाण्डे	भूगोल	नैनीताल	31.07.2008	31.07.2011
5-	डॉ० जे० एस० बिष्ट	विधि	अल्मोड़ा	02.08.2008	02.08.2011
6-	डॉ० शालिमा तबरसूम	संस्कृत	अल्मोड़ा	10.08.2008	10.08.2011


कुलपति

पृ० सं० मान्यता/शै०व्य०/पीईआर/1467

दिनांक - 24-10-2011

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. उपरोक्त सम्बन्धित शिक्षकों को।
2. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/परिसर विभागाध्यक्ष, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
3. सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/परिसर संकायाध्यक्ष, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
4. परिसर निदेशक, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/ एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
5. वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. सहायक लेखाधिकारी, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/ एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
7. निजी सचिव कुलपति को कुलपति जी के सूचनाएं।
8. अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।


कुलसचिव

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)



KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 मई, 2013 के मद संख्या 03 पर लिये गये निर्णयानुसार डा० संजय कुमार टम्टा पुत्र श्री सी०एस० टम्टा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सह प्राध्यापक (इतिहास) के पद पर वेतनमान 37400-670000+9000 ए०जी०पी में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के एस०एस०जे० परिसर, अल्मोड़ा में इतिहास विभाग में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। शिक्षण एवं प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डा० टम्टा को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

डा० टम्टा को सह प्राध्यापक, इतिहास (अनुसूचित जाति) पद के सापेक्ष अनुमन्य वेतनमान के प्रारंभिक स्तर एवं उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

डा० टम्टा को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 मई, 2013 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

उक्त नियुक्ति के सापेक्ष सलग्न अनुबन्ध पत्र (रु० 100.00 नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर में) भरकर एक माह के भीतर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना होगा।

इस पद पर नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या-3077 ऑफ 2012 एवं संख्या-2645 ऑफ 2012 के अधीन इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अन्यथा निर्णय लिया जाता है, तो वह उन्हें मान्य होगा।

हो

कुलपति
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

पृ०सं०-मा०/कार्मिक/शै०व्य०/पीईआर/156

दिनांक: 01/05/2013

प्रतिलिपि-

- 1- डा० संजय कुमार टम्टा, हरि निवास थाना बाजार, अल्मोड़ा।
- 2- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
- 3- संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय।
- 4- परिसर निदेशक।
- 5- वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
- 6- सहायक लेखाधिकारी।
- 7- अभिलेख पत्रावली।

कुलसचिव

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)



KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 मई, 2013 के मद संख्या 03 पर लिये गये निर्णयानुसार डा० शिवानी रावत पुत्री श्री बी०एल० रावत को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक प्राध्यापक (इतिहास) के पद पर वेतनमान 15600-39100+6000 ए०जी०पी में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी०एस०बी० परिसर, नैनीतालभीताल में इतिहास विभाग में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। शिक्षण एवं प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डा० रावत को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

डा० रावत को सहायक प्राध्यापक, इतिहास (अनुसूचित जाति) पद के सापेक्ष अनुमन्य वेतनमान के प्रारंभिक स्तर एवं उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

डा० रावत को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 मई, 2013 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

उक्त नियुक्ति के सापेक्ष सलग्न अनुबन्ध पत्र (रु० 100.00 नॉन ज्यूडीशियल स्टांप पेपर में) भरकर एक माह के भीतर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना होगा।

इस पद पर नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या-3077 ऑफ 2012 एवं संख्या-2645 ऑफ 2012 के अधीन इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अन्यथा निर्णय लिया जाता है, तो वह उन्हें मान्य होगा।

कुलपति
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

दिनांक: 01/05/2013

पृ०सं०-मा०/कार्मिक/शै०व्य०/पीईआर/156

प्रतिलिपि-

- 1- डा० शिवानी रावत, स्टोनले कम्पाउण्ड, तल्लीताल, नैनीताल।
- 2- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
- 3- संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय।
- 4- परिसर निदेशक।
- 5- वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
- 6- सहायक लेखाधिकारी।
- 7- अभिलेख पत्रावली।

कुलसचिव

Received

2. Ranat
1.5.13

सम्राट् विश्वविद्यालय, नैनीताल ।

नियुक्ति/विज्ञापित

संख्या-

दिनांकः

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 31(4)(ए) के अन्तर्गत गठित
यवन समिति की संस्तुति तथा विश्वविद्यालय कार्यभार गृहण की बैठक दिनांक
4 सितम्बर, 1989 के आधार पर कार्यभार ग्रहण तिथि से रु० लता जोशी,
फोनसिका स्टेट काठगोदाम जिला नैनीताल को प्रवक्ता गृह विज्ञान के पद
पर वेतनमान रु० 2200-75-2800-100-4000 में नियुक्त किया जाता है।
रु० जोशी की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण तिथि से एक वर्ष के लिए परीचीक्षणा-
धीन अवधि पर रहेंगी।

कु0 लता लोधी को प्रवक्ता के पद पर उक्त वेतन मान में प्रारम्भिक वेतन रु0 2200=00 तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे ।

हु0 मोसी की तैनाती डी0एत0भी0 संघटक महाविद्यालय, नैनीताल में की जाती है । शिक्षण एवं प्रशासनिक व्यवस्था के११ हित में उन्हें विश्वविद्यालय के किसी भी संघटक महाविद्यालय में हस्तान्तरित किया जा सकता है । विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियमावली में निहित सेवा शर्तों उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी ।

कु0 जोशी को नियुक्त पद पर उक्त संघटक महाविद्यालय में दिनांक 25 सितम्बर, 1999 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना लौटती डाक से विश्वविद्यालय को भेजनी अनिवार्य होगी। कार्यभार ग्रहण हेतु जोई भार व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

सू.सं. - [एम०डी० उपाध्याय]
कुलपति

पु० सं० गान्धारी / नि० ति० / ५९४

दिनांक: ६-५-२०१७

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक योजनाही हेतु-

- 1- कु० लता जोशी फोनसिका स्टेट काठगोदाम जिला नैनीताल ।
- 2- निदेशक, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल ।
- 3- संकायाध्यक्ष, कना संकाय, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल ।
- 4- सह लेखाधिकारी, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल ।
- 5- वित्त अधिकारी ।
- 6- अभिलेख पत्रावली ।

/s/

॥ आर० सी० पंत ॥
पुस्तकालय

Received Latipain
6/09/89
मु.स. वि. वि. वि.

एन. एस. बिष्ट

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
नियुक्ति/विज्ञप्ति

63

15

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31(4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29-6-2004 के मद संख्या-10 पर लिए गए निर्णयानुसार कु0 छवि आर्या टावर काटेज, मल्लीताल, नैनीताल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता गृहविज्ञान के पद पर वेतनमान रू0 8000-275-13500 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

कु0 छवि आर्या को प्रवक्ता गृहविज्ञान के पद पर उक्त वेतनमान में रू0 8000/-वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में कु0 छवि आर्या को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

कु0 छवि आर्या को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 जुलाई, 2004 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कु0 छवि आर्या को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

कु0 -कुलपति
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

पृ0सं0मान्यता/शै0व्यव0/478

दिनांक 30 जून, 2004

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- कु0 छवि आर्या, टावर काटेज, मल्लीताल, नैनीताल।
- 2- विभागाध्यक्ष, गृहविज्ञान विभाग, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल।
- 3- समन्वयक अधिष्ठाता, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल।
- 4- संकायाध्यक्ष कला संकाय, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल।
- 5- वित्त अधिकारी, कु0वि0, नैनीताल।
- 6- सहायक लेखाधिकारी, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल।
- 7- अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।

(सुरेश चन्द्र जोशी)
कुलसचिव

for
use



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

नियुक्ति आदेश

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 44/XXIV(6)/2010, दिनांक 22 मार्च, 2010 एवं विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.02.2011 के मद संख्या 16 पर लिये गये निर्णयानुसार डॉ० गिरीश रन्जन तिवारी, स्टोनले कम्पाउण्ड, तल्लीताल, नैनीताल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एसोसिएट प्रोफेसर (अनारक्षित) पत्रकारिता एवं जनसंचार के पद पर वेतनमान 15600-39100 + 8000 ए० जी० पी० में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डॉ० तिवारी को ~~असिस्टेंट~~ प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार के पद पर उक्त वेतनमान का प्रारम्भिक स्तर तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डॉ० तिवारी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डॉ० तिवारी को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 26 फरवरी, 2011 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ० तिवारी को कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा। 28 फरवरी, 2011 के पश्चात् शासन की अनुमति के द्वारा ही उनके कार्यकाल में वृद्धि की जायेगी।

कुलपति

पृ० सं० - मान्यता/शै०व्य०/ 2004

दिनांक: 19.02.2011

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. डॉ० गिरीश रन्जन तिवारी, स्टोनले कम्पाउण्ड, तल्लीताल, नैनीताल।

2. विभागाध्यक्ष/परिसर विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।

संक्रायाध्यक्ष/परिसर संक्रायाध्यक्ष, कला संक्राय, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।

रेसर निदेशक, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।

अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

लेखाधिकारी, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।

ख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।

Received
Shri P. D. Tiwari
19-2-2011

कुलसचिव

they s
the car
of the &
the nam
the nam

state whether Shrimati or

3. Father's/Husband's Name

Late Sri P. D. TIWARI



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

नियुक्ति आदेश

उत्तराखण्ड शासनके शासनादेश सं० 44/XXIV(6)/2010, दिनांक 22 मार्च, 2010 एवं विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.02.2011 के मद संख्या 16 पर लिये गये निर्णयानुसार कु० पूनम बिष्ट फ्लैट नं० 239, थर्ड फ्लोर, एल० एण्ड टी० (डी० डी० ए०) अपार्टमेंट, सैक्टर 18-ई, द्वारिका, नई दिल्ली - 110046 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से असिस्टेंट प्रोफेसर (अनारक्षित) पत्रकारिता एवं जनसंचार के पद पर वेतनमान 15600-39100 + 6000 ए० जी० पी० में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

कु० बिष्ट को असिस्टेंट प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार के पद पर उक्त वेतनमान का प्रारम्भिक स्तर तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में कु० बिष्ट को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

कु० बिष्ट को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 26 फरवरी, 2011 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कु० बिष्ट को कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा। 28 फरवरी, 2011 के पश्चात् शासन की अनुमति के द्वारा ही उनके कार्यकाल में वृद्धि की जायेगी।


कुलपति

पृ० सं० - मान्यता/शै०व्य०/2083

दिनांक: 19.02.2011

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. कु० पूनम बिष्ट फ्लैट नं० 239, थर्ड फ्लोर, एल० एण्ड टी० (डी० डी० ए०) अपार्टमेंट, सैक्टर 18-ई, द्वारिका, नई दिल्ली - 110046
2. विभागाध्यक्ष/परिसर विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
3. ~~सचिव/परिसर सचिव, लक्ष्मीबाबा, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।~~
4. परिसर निदेशक, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
5. वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. सहायक लेखाधिकारी, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
7. अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

स्पीड-पोस्ट

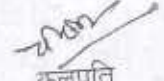
नियुक्ति/विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.05.2009 के मद संख्या 22 पर लिये गये निर्णयानुसार डॉ० महेश चन्द्र जोशी, एसोसिएट प्रोफेसर, गणित, सांख्यिकी तथा कम्प्यूटर विज्ञान विभाग, सी० बी० एस० एच०, जी० बी० पन्त कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर - 263145 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आचार्य गणित के पद पर वेतनमान रु० 16400-450-20900-500-22400 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डॉ० जोशी, आचार्य गणित के पद पर उक्त वेतनमान में 16400 प्रारम्भिक वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डॉ० जोशी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

डॉ० जोशी को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 23 जून, 2009 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ० जोशी को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

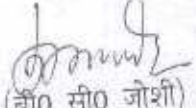

कुलपति
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

दिनांक: 29-05-2009.

पृ० सं० - मान्यता/शै०व्य०/259

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. डॉ० महेश चन्द्र जोशी, एसोसिएट प्रोफेसर, गणित, सांख्यिकी तथा कम्प्यूटर विज्ञान विभाग, सी० बी० एस० एच०, जी० बी० पन्त कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर - 263145।
2. विभागाध्यक्ष/परिसर विभागाध्यक्ष, गणित विभाग, एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा/डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
3. संकायाध्यक्ष/परिसर संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा/डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
4. समन्वयक अधिष्ठाता, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
6. वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
7. सहायक लेखाधिकारी, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
8. अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।


(बी० सी० जोशी)
कुलसचिव

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

नियुक्ति/विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.05.2009 के मद संख्या 22 पर लिखे गये निर्णयानुसार श्री सुनील कुमार चनियाल द्वारा श्री बी० आर० धामी, नियर प्राइमरी पाठशाला दुगलखोला, अल्मोड़ा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता गणित (अनुसूचित जाति) के पद पर वेतनमान रु० 8000-275-13500 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

श्री सुनील कुमार चनियाल को प्रवक्ता गणित (अनुसूचित जाति) के पद पर उक्त वेतनमान तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में श्री सुनील कुमार चनियाल को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

डॉ० श्री सुनील कुमार चनियाल को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 23 जून, 2009 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु श्री सुनील कुमार चनियाल को कोई मान्य व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।


कुलपति
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

दिनांक: 23-5-2009

पृ० सं० - मान्यता/शै०व्य०/239

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री सुनील कुमार चनियाल द्वारा श्री बी० आर० धामी, नियर प्राइमरी पाठशाला दुगलखोला, अल्मोड़ा।
2. विभागाध्यक्ष/परिसर विभागाध्यक्ष, गणित विभाग, एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा/डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
3. संकायाध्यक्ष/परिसर संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा/डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
4. समन्वयक अधिष्ठाता, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
5. वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. सहायक लेखाधिकारी, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
7. अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।


(बी० सी० जोशी)



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)



KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 मई, 2013 के मद संख्या 03 पर लिये गये निर्णयानुसार डा० अनीता कुमारी पत्नी श्री एस० दयाल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक प्राध्यापक (गणित) के पद पर वेतनमान 15600-39100+6000 ए०जी०पी में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल में गणित विभाग में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। शिक्षण एवं प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डा० अनीता को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

डा० अनीता को सहायक प्राध्यापक, गणित (अन्य पिछड़ा वर्ग) पद के सापेक्ष अनुमन्य वेतनमान के प्रारंभिक स्तर एवं उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

डा० अनीता को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 मई, 2013 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

उक्त नियुक्ति के सापेक्ष सलग्न अनुबन्ध पत्र (रु० 100.00 नॉन ज्यूडीशियल स्टॉप पेपर में) भरकर एक माह के भीतर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना होगा।

इस पद पर नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या-3077 ऑफ 2012 एवं संख्या-2645 ऑफ 2012 के अधीन इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अन्यथा निर्णय लिया जाता है, तो वह उन्हें मान्य होगा।

कुलपति
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

पृ०सं०-मा०/कार्मिक/शै०व्य०/पीईआर/157

दिनांक: 01/05/2013

प्रतिलिपि-

- 1- डा० अनीता कुमारी द्वारा-श्री शिव दयाल, मकान नं० 240/35 फूल बाग नं० पंतनगर।
- 2- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
- 3- संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय।
- 4- परिसर निदेशक।
- 5- वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
- 6- सहायक लेखाधिकारी।
- 7- अभिलेख पत्रावली।

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)



KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL

70

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 मई, 2013 के मद संख्या 03 पर लिये गये निर्णयानुसार श्री दीपक कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र लाल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक प्राध्यापक (गणित) के पद पर वेतनमान 15600-39100+6000 ए0जी0पी में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल में गणित विभाग में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। शिक्षण एवं प्रशासनिक व्यवस्था के हित में श्री दीपक को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

श्री दीपक को सहायक प्राध्यापक, गणित (अनुसूचित जाति) पद के सापेक्ष अनुमन्य वेतनमान के प्रारंभिक स्तर एवं उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

श्री दीपक को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 मई, 2013 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

उक्त नियुक्ति के सापेक्ष सलग्न अनुबन्ध पत्र (रु0 100.00 नॉन ज्यूडीशियल स्टॉप पेपर में) भरकर एक माह के भीतर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना होगा।

इस पद पर नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या-3077 ऑफ 2012 एवं संख्या-2645 ऑफ 2012 के अधीन इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अन्यथा निर्णय लिया जाता है, तो वह उन्हें मान्य होगा।



कुलपति

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

पृ0सं0-मा0/कार्मिक/शै0व्य0/पीईआर/157

दिनांक: 01/05/2013

प्रतिलिपि-

- 1- श्री दीपक कुमार, ग्राम-गौतम नगर, मालधन चौड पो0-चन्द्र नगर, रामनगर नैनीताल।
- 2- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
- 3- संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय।
- 4- परिसर निदेशक।
- 5- वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
- 6- सहायक लेखाधिकारी।
- 7- अभिलेख पत्रावली।

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31(4)(ए) के अन्तर्गत गठित वयन समिति तथा विश्वविद्यालय कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 2 एवं 3 अगस्त, 1980 के प्रस्ताव संख्या 7-102(2) के आधार पर श्री पुरन चन्द्र कविदयाल, तदर्थ प्रवक्ता वाणिज्य, अल्मोड़ा संघटक महाविद्यालय, अल्मोड़ा को कार्यभार ग्रहण तिथि से प्रवक्ता वाणिज्य के पद पर कुमार विश्वविद्यालय के संघटक अल्मोड़ा महाविद्यालय, अल्मोड़ा में अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है।

उन्हें प्रवक्ता के पद पर वेतनमान रु 700-40-1100-50-1600 में न्यूनतम मूल वेतन रु 700/- तथा अनुमन्य भत्तों का ही भुगतान किया जायेगा।

श्री कविदयाल को नियुक्ति की तिथि से पाँच वर्षों के अन्तर्गत पी 0एच 0डी 0 उपाधि प्राप्त करनी होगी अन्यथा वे ऐसी अवधि के परवार वार्षिक वेतन वृद्धि पाने के तब तक हकदार नहीं होंगे जब तक कि वे ऐसी अवधि प्राप्त न कर लें।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में उन्हें विश्वविद्यालय के किसी भी संघटक महाविद्यालय में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमों में निहित सेवा शर्तें उन पर पूर्णरूपेण लागू होंगी।

श्री कविदयाल को उक्त महाविद्यालय में 11 अगस्त, 1980 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त लौटती डाक से विश्वविद्यालय की भेजना अनिवार्य है। कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

डॉ शम्भुदयाल सिंहल,
कुलपति

पृष्ठांकन/पत्रांक/मान्यता 1217

दिनांक- 4-8-80

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित व्यक्ति को।
- 2- संस्थाध्यक्ष, अल्मोड़ा संघटक महाविद्यालय, अल्मोड़ा।
- 3- वित्त अधिकारी, कुमार विश्वविद्यालय, नैनीताल।
- 4- अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय, अल्मोड़ा संघटक महाविद्यालय, अल्मोड़ा।
- 5- व्यक्तिगत पत्राकलो।
- 6- अभिलेख पत्राकलो।

Yashwantrao Jadhav
प्रबलाद स्वरूप
सहायक कुलसचिव/मान्यता
को कुलसचिव

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल
कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की सस्तुति तथा विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23-6-2001 के मद संख्या 18-55 पर लिये गये निर्णयानुसार श्री प्रदीप जोशी कमला सदन, मिडिल चीना माल, तल्लीताल, नैनीताल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता एम0बी0ए0 के पद पर वेतनमान रू0 8000-275-13500 में विश्वविद्यालय के एम0बी0ए0 विभाग, (भीमताल) नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

श्री जोशी को प्रवक्ता एम0बी0ए0 के पद पर उक्त वेतनमान में रू0 8000/-प्रारम्भिक वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में श्री जोशी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

श्री जोशी को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 30 जून 2001 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु श्री जोशी को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

आज्ञा से

क. वि. 2001/22

कुलपति

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

पृ0स0 मान्यता/नियुक्ति/313

दिनांक 23-6-2001

- प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 1- श्री प्रदीप जोशी कमला सदन, मिडिल चीना माल, तल्लीताल, नैनीताल।
 - 2- अधिष्ठाता छात्र कल्याण, कु0वि0वि0 डी0एस0बी0 परिसर नैनीताल।
 - 3- सहायक अध्यापक वाणिज्य एवं प्रबन्ध सहाय, (कु0वि0वि0) डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल।
 - 4- विभागाध्यक्ष एम0बी0ए0 विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय परिसर भीमताल, नैनीताल।
 - 5- वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पद का व्ययभार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान के अन्तर्गत वहन किया जायगा।
 - 6- सहायक लेखाधिकारी, (कु0वि0वि0) डी0एस0बी0 परिसर नैनीताल।
 - 7- अभिलेख पत्रावली।

कुलसचिव

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल। 23/6/2001

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल
कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23-6-2001 के मद संख्या 18-55 पर लिखे गये निर्णयानुसार श्री अमित जोशी, अमित निकेशन, लोवर डाडा, नैनीताल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता एम0बी0ए0 के पद पर वेतनमान रू0 8000-275-13500 में विश्वविद्यालय के एम0बी0ए0 विभाग, (भीमताल) नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

श्री जोशी को प्रवक्ता एम0बी0ए0 के पद पर उक्त वेतनमान में रू0 8000/-प्रारम्भिक वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में श्री जोशी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

श्री जोशी को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 30 जून 2001 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु श्री जोशी को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

आज्ञा से,

ब. सि. 21 जून 2001
कुलपति,

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

पू0स0 मान्यता/नियुक्ति/312

दिनांक 23-6-2001

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- श्री अमित जोशी, अमित निकेशन, लोवर डाडा, नैनीताल।
- 2- अधिष्ठाता छात्र कल्याण, कु0वि0वि0 डी0एस0बी0 परिसर नैनीताल।
- 3- सकायाध्यक्ष वाणिज्य एवं प्रबन्ध संकाय, (कु0वि0वि0) डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल।
- 4- विभागाध्यक्ष एम0बी0ए0 विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय परिसर भीमताल, नैनीताल।
- 5- वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पद का व्ययभार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान के अन्तर्गत वहन किया जायगा।
- 6- सहायक लेखाधिकारी, (कु0वि0वि0) डी0एस0बी0 परिसर नैनीताल।
- 7- अभिलेख पत्रावली।

कुलसचिव,

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

D.F.A

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल
कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25 नवम्बर, 1999 के मद संख्या-12 पर लिये गये निर्णयानुसार श्री ललित कुमार सिंह पुत्र श्री डी०सी० गंगवार मुहल्ला पटेल नगर (निकट तहसील)-तहसील-कायम गंज जिला फरुखाबाद-207502 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता एम०बी०ए० (वाणिज्य एवं प्रबन्ध संकाय) के पद पर वेतनमान रु० 8000-275-13500 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय (भीमताल), नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

श्री सिंह को प्रवक्ता एम०बी०ए० के पद पर वेतनमान रु० 8000/-प्रारम्भिक वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में श्री सिंह को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

श्री सिंह को नियुक्त पद पर दिनांक 15-12-1999 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु श्री सिंह को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

आज्ञा से,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

पृ०स० मान्यता/नियुक्ति/

दिनांक

- प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 1- श्री ललित कुमार सिंह पुत्र श्री डी०सी० गंगवार मुहल्ला पटेल नगर, तहसील कायम गंज जिला फरुखाबाद-207502
 - 2- अधिष्ठाता छात्र कल्याण, कु०वि०वि० (डी०एस०बी० परिसर) नैनीताल।
 - 3- संकायाध्यक्ष वाणिज्य एवं प्रबन्ध संकाय कु०वि०वि० नैनीताल।
 - 4- समन्वयक एम०बी० प्रोग्राम, कु०वि०वि०, नैनीताल।
 - 5- वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि संदर्भित पद का वेतन भुगतान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से एम०बी०ए० मद हेतु प्राप्त अनुदान से किया जाय।
 - 6- सहायक लेखाधिकारी, कु०वि०वि० परिसर नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि संदर्भित पद का वेतन भुगतान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से एम०बी०ए० मद हेतु प्राप्त अनुदान से किया जाय।
 - 7- अभिलेख पत्रावली।

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

नियुक्ति/विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 26.07.2008 के मद्द संख्या 07 पर लिये गये निर्णयानुसार श्री रवि जोशी पुत्र श्री एम0 सी0 जोशी, 85, बड़ा बाजार, नल्लीताल, नैनीताल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता संगीत (अनारक्षित) के पद पर वेतनमान रु0 8000-275-13500 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी0 एस0 बी0 परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

श्री रवि जोशी को प्रवक्ता संगीत (अनारक्षित) के पद पर उक्त वेतनमान में वेतन संरक्षण तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में श्री रवि जोशी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

श्री रवि जोशी को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 27 अगस्त, 2008 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु श्री रवि जोशी को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

हस्ता/- कुलपति
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

पृ0 सं0 - मान्यता/शै0व्य0/522

दिनांक: 26-07-2008.

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आन्तरिक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री रवि जोशी पुत्र श्री एम0 सी0 जोशी, 85, बड़ा बाजार, नल्लीताल, नैनीताल।
2. विभागाध्यक्ष, संगीत विभाग, डी0 एस0 बी0 परिसर, नैनीताल।
3. समन्वयक अधिष्ठाता, डी0 एस0 बी0 परिसर, नैनीताल।
4. संकायाध्यक्ष, कला संकाय, डी0 एस0 बी0 परिसर, नैनीताल।
5. वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. सहायक लेखाधिकारी, डी0 एस0 बी0 परिसर, नैनीताल।
7. अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।


(बी0 सी0 जोशी)
कुलसचिव

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)



KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 मई, 2013 के मद संख्या 03 पर लिये गये निर्णयानुसार डा० गगनदीप होथी पुत्र श्री आर०के० सिंह को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक प्राध्यापक (संगीत) के पद पर वेतनमान 15600-39100+6000 ए०जी०पी में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल में संगीत विभाग में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। शिक्षण एवं प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डा० होथी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

डा० होथी को सहायक प्राध्यापक, संगीत (अनारक्षित) पद के सापेक्ष अनुमन्य वेतनमान के प्रारंभिक स्तर एवं उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

डा० होथी को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 मई, 2013 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

उक्त नियुक्ति के सापेक्ष सलग्न अनुबन्ध पत्र (रु० 100.00 नॉन ज्यूडीशियल स्टॉप पेपर में) भरकर एक माह के भीतर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना होगा।

इस पद पर नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या-3077 ऑफ 2012 एवं संख्या-2645 ऑफ 2012 के अधीन इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अन्यथा निर्णय लिया जाता है, तो वह उन्हें मान्य होगा।

कुलपति
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

पृ०सं०-मा०/कार्मिक/शै०व्य०/पीईआर/156

दिनांक: 01/05/2013

प्रतिलिपि-

- 1- डा० गगनदीप होथी, द्वारा-सरसमीर नियर-फौलीकलचर नव बहार, शिमला-171002 (शिमला)
- 2- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
- 3- संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय।
- 4- परिसर निदेशक।
- 5- वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
- 6- सहायक लेखाधिकारी।
- 7- अभिलेख पत्रावली।

कुलसचिव

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

78

नियुक्ति/विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 26.07.2008 के मद संख्या 07 पर लिये गये निर्णयानुसार डॉ० विजय जुवाल, फार्मसी विभाग, श्री गुरुराम राय इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइन्स, पटेलनगर, देहरादून को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आचार्य फार्मसी के पद पर वेतनमान रु० 16400-450-20900-500-22400 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के फार्मसी विभाग भीमताल परिसर में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डॉ० विजय जुवाल को आचार्य फार्मसी के पद पर उक्त वेतनमान में वेतन संरक्षण तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डॉ० विजय जुवाल को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय पुरनियमावली में विहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डॉ० विजय जुवाल को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 27 अगस्त, 2008 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ० विजय जुवाल को कोई भर्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

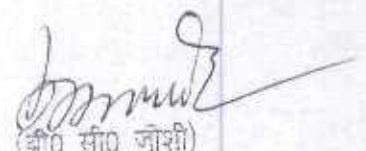
हस्ता/- कुलपति
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

दिनांक: 26.07.2008.

पृ० सं० - मान्यता/डी०व्य०/519

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. डॉ० विजय जुवाल, फार्मसी विभाग, श्री गुरुराम राय इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइन्स, पटेलनगर, देहरादून।
2. विभागाध्यक्ष, फार्मसी विभाग, विश्वविद्यालय परिसर, भीमताल।
3. समन्वयक अधिष्ठाता, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
4. परिसर संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
5. वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. सहायक लेखाधिकारी, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
7. अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।


(डी० सी० जोशी)
कुलसचिव

९/८

नियुक्ति/विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31(4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्य-विषय की बैठक दिनांक 29-6-2004 के मद संख्या-10 पर लिए गए निर्णयानुसार कु0 अर्चना नेगी, न्यू इन्दिरा कालौनी, लोअर मालरोड, खत्याड़ी, अल्मोड़ा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता फार्मसी के पद पर वेतनमान रु0 8000-275-13500 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

कु0 अर्चना नेगी को प्रवक्ता फार्मसी के पद पर उक्त वेतनमान में वेतन संरक्षण तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में कु0 अर्चना नेगी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

कु0 अर्चना नेगी को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 जुलाई, 2004 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कु0 अर्चना नेगी को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

ह0 कुलपति

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

पृ0सं0मान्यता/शै0व्यव0/512

दिनांक 6 जुलाई, 2004

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- कु0 अर्चना नेगी, न्यू इन्दिरा कालौनी, लोअर मालरोड, खत्याड़ी, अल्मोड़ा।
- 2- समन्वयक बी0फार्मा विभाग डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल।
- 3- समन्वयक अधिष्ठाता, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल।
- 4- परिसर संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल।
- 5- वित्त अधिकारी, कु0वि0, नैनीताल।
- 6- सहायक लेखाधिकारी, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल।
- 7- अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।

(सुरेश चन्द्र जोशी)

कुलसचिव

Received
Anshu
6-7-2004

समन्वयक बी. फार्मा की प्रतिलिपि

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

नियुक्ति/विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31(4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संसद की बैठक दिनांक 29-6-2004 के मद संख्या-10 पर लिए गए निर्णयानुसार डॉ० कुमुद उपाध्याय द्वारा फार्मसी विभाग, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के पद पर वेतनमान रु० 8000-275-13500 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी०एस०बी० ल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डॉ० कुमुद उपाध्याय को प्रवक्ता फार्मसी के पद पर वेतन संरक्षण तथा उस पर अनुमन्य

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डॉ० कुमुद उपाध्याय को विश्वविद्यालय के र में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय त होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

डॉ० कुमुद उपाध्याय को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 जुलाई, 2004 त करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की /फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण क उपाध्याय को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

कुलपति

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

दिनांक 30 जून, 2004

सं०मान्यता/शै०व्यव०/474

- प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :
- डॉ० कुमुद उपाध्याय द्वारा फार्मसी विभाग, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
 - समन्वयक बी०फार्मा विभाग डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
 - समन्वयक अधिष्ठाता, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
 - परिसर संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
 - वित्त अधिकारी, कु०वि०, नैनीताल।
 - सहायक लेखाधिकारी, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
 - अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।

(सुरेश चन्द्र जोशी)
कुलसचिव

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31(4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29-6-2004 के मद संख्या-10 पर लिए गए निर्णयानुसार डॉ० (श्रीमती) अनीता सिंह द्वारा फार्मसी विभाग, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता फार्मसी के पद पर वेतनमान रु० 8000-275-13500 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डॉ० (श्रीमती) अनीता सिंह को प्रवक्ता फार्मसी के पद पर वेतन संरक्षण तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डॉ० (श्रीमती) अनीता सिंह को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

डॉ० (श्रीमती) अनीता सिंह को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 जुलाई, 2004 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ० (श्रीमती) अनीता सिंह को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

हस्ताक्षर -

कुलपति

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

पृ०सं०मान्यता/शै०व्यव०/473

दिनांक 30 जून, 2004

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- डॉ० (श्रीमती) अनीता सिंह द्वारा फार्मसी विभाग, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 2- समन्वयक बी०फार्मा विभाग डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 3- समन्वयक अधिष्ठाता, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 4- परिसर संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 5- वित्त अधिकारी, कु०वि०, नैनीताल।
- 6- सहायक लेखाधिकारी, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 7- अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।



(सुरेश चन्द्र जोशी)

कुलसचिव



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

82

91

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन-समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 21.08.2010 के मद संख्या 5/24 पर लिखे गये निर्णयानुसार डॉ० महेन्द्र राणा, विवेकानन्द कुटीर, एलवनी विला कम्पाउंड, तल्लीताल, नैनीताल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से असिस्टेंट प्रोफेसर (अमात्रिणी) फार्मसी के पद पर वेतन बैंड 3, वेतनमान 15600-39100 6000 एंड जी० पी० में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के कुमाऊँ विश्वविद्यालय परिसर, भीमताल में आस्थापी रूप से नियुक्ति किया जाता है।

डॉ० महेन्द्र राणा को असिस्टेंट प्रोफेसर, फार्मसी के पद पर उक्त वेतनमान का प्रारम्भिक स्तर तथा उस पर अनुमति भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डॉ० राणा को विश्वविद्यालय के शिक्षण की परिपत्र से स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिसरपालकी में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डॉ० राणा को उक्त परिसर में नियुक्ति पत्र पर दिनांक 20 सितम्बर, 2010 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त हो जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ० राणा को कोई मा भ्रम इत्यादि देय नहीं होगा।

यह नियुक्ति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी संघ All/Teach/Inst./1545, दिनांक 09.02.2010 के विद्यार्थी माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा दाख संख्या 49/2010 पर माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये अन्तरिम आदेशानुसार उक्त वाद के सत्र में होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

ह०/कुलपति

दिनांक: 21.08.2010

पृ० सं० - मान्यता/शै०/०/872

प्रागलिपि: निम्नांकित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. डॉ० महेन्द्र राणा, विवेकानन्द कुटीर, एलवनी विला कम्पाउंड, तल्लीताल, नैनीताल।
2. विभागाध्यक्ष, फार्मसी विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय परिसर, भीमताल।
3. संकायाध्यक्ष, तकनीकी संकाय, कुमाऊँ विश्वविद्यालय परिसर, भीमताल।
4. परिष्कार निदेशक, डॉ० एस० जी० परिसर, नैनीताल।
5. वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. सहायक लेखाधिकारी, डॉ० एस० जी० परिसर, नैनीताल।
7. ऑफिसलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।

(सुधीर बुझाकोटी)
कुलसचिव

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

नियुक्ति/विज्ञप्ति

82

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित धन्य समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 26.07.2008 के पद संख्या 07 पर लिये गये निर्णयानुसार श्री तीरथ कुमार, पुत्र श्री बागचन्द्र काम्बोज, ग्राम- रूपदेवपुर, पो 0 बैलपड़ाव, रामनगर, नैनीताल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता फार्मसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के पद पर वेतनमान रु० 8000-275-13500 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के फार्मसी विभाग भीमताल परिसर में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

श्री तीरथ कुमार को प्रवक्ता फार्मसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के पद पर उक्त वेतनमान में वेतन संरक्षण तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में श्री तीरथ कुमार को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर विहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

श्री तीरथ कुमार को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 27 अगस्त, 2008 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरत तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु श्री तीरथ कुमार को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

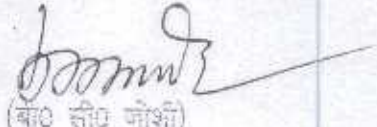
हस्ता/- कुलपति
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

पृ० सं० - भान्यता/शै० व्य०/ 520

दिनांक: 26-07-2008.

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री तीरथ कुमार, पुत्र श्री बागचन्द्र काम्बोज, ग्राम- रूपदेवपुर, पो 0 बैलपड़ाव, रामनगर, नैनीताल।
2. विभागाध्यक्ष, फार्मसी विभाग, विश्वविद्यालय परिसर, भीमताल।
3. समन्वयक अधिष्ठाता, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
4. परिसर संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
5. वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. सहायक लेखाधिकारी, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
7. अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।


(बी० सी० जोशी)
कुलसचिव



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 02.07.2011 के मद संख्या 08 पर लिये गये निर्णयानुसार श्री सन्तोष कुमार, पुत्र श्री गोपाल राम टन्टा, द्वारा श्री एम0 एस0 यादव, ई0 डब्लू0 एस0 387/9, आवास विकास, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुसूचित जाति) शारीरिक शिक्षा के पद पर वेतन बैंड 3, वेतनमान 15600-39100 + 6000 ए0 जी0 पी0 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी0 एस0 बी0 परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

श्री कुमार को असिस्टेंट प्रोफेसर, (शारीरिक शिक्षा) के पद पर उक्त वेतनमान का प्रारम्भिक स्तर तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में श्री कुमार को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

श्री कुमार को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 01 अगस्त, 2011 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु श्री कुमार को कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।


कुलपति

पृ0 सं0 - मान्यता/शै0व्य0/543

दिनांक: 02-07-2011

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री सन्तोष कुमार, पुत्र श्री गोपाल राम टन्टा, द्वारा श्री एम0 एस0 यादव, ई0 डब्लू0 एस0 387/9, आवास विकास, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
2. विभागाध्यक्ष, शिक्षा संकाय, एस0 एस0 जे0 परिसर, अल्मोड़ा।
3. संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय, एस0 एस0 जे0 परिसर, अल्मोड़ा।
4. परिसर निदेशक, डी0 एस0 बी0 परिसर, नैनीताल/एस0 एस0 जे0 परिसर, अल्मोड़ा।
5. वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. सहायक लेखाधिकारी, डी0 एस0 बी0 परिसर, नैनीताल/एस0 एस0 जे0 परिसर, अल्मोड़ा।
7. अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।


कुलसचिव

(88)

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की सन्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 26-02-2005 के मद संख्या-20 पर लिए गए निर्णयानुसार डॉ० सजय पंत, 15 स्टाफ क्वार्टर्स जे०वी० जैन, कालेज, प्रद्युम्न नगर, सहारनपुर (उ०प्र०) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उपाचार्य, भौतिक विज्ञान के पद पर वेतनमान रु० 12,000-420-18,300 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डॉ० पंत को उपाचार्य, भौतिक विज्ञान के पद पर उक्त वेतनमान में रु० 12,000/- प्रारंभिक वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक हित में डॉ० पंत को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनिर्णयमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डॉ० पंत को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 मार्च, 2005 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ० पंत को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

१५/५
कुलपति
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

- दिनांक 02 मार्च, 2005
- पू०स०मान्यता/शै०व्याव०/१००८
- प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
- 1- डॉ० सजय पंत, 15 स्टाफ क्वार्टर्स जे०वी० जैन, कालेज, प्रद्युम्न नगर, सहारनपुर (उ०प्र०)।
 - 2- विभागाध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
 - 3- समन्वयक अधिष्ठाता, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
 - 4- परिसर सहायक अधिष्ठाता विज्ञान सहाय, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
 - 5- वित्त अधिकारी, कु०वि०वि०, नैनीताल।
 - 6- सहायक लेखाधिकारी, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
 - 7- अभिलेख/व्यक्तिगत पत्रावली।

(सुरेश चन्द्र जोशी)
कुलसचिव

कुलपतिजी
कृपया अनुमोदनाध,
2/3/05



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिपत्र की बैठक दिनांक 30.11.2010 के मद्र संख्या 10/26 पर लिये गये निर्णयानुसार डॉ० रमेश चन्द्रा, द्वारा श्री जे० के० साह, सुदर्शन होटल कम्पाउण्ड, चिड़िया घर रोड, तल्लीताल, नैनीताल-263002 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एसोसिएट प्रोफेसर (अनुसूचित जाति) भौतिक विज्ञान के पद पर वेतन ग्रैण्ड 4, वेतनमान 37,400-67,000 + 9000 ए० जी० पी० में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल में अन्तर्गामी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डॉ० चन्द्रा को एसोसिएट प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान के पद पर उक्त वेतनमान का प्रारम्भिक स्तर तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डॉ० चन्द्रा को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डॉ० चन्द्रा को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ० चन्द्रा को कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

कुलपति

पृ० सं० - मान्यता/शै०व्य०/1467 (1)

दिनांक: 30.11.2010

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. डॉ० रमेश चन्द्रा, द्वारा श्री जे० के० साह, सुदर्शन होटल कम्पाउण्ड, चिड़िया घर रोड, तल्लीताल, नैनीताल-263002।
2. विभागाध्यक्ष/परिसर विभागाध्यक्ष, भौतिक विभाग, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
3. संकायाध्यक्ष/परिसर संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
4. परिसर निदेशक, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
5. वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. सहायक लेखाधिकारी, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
7. अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।


30/11/2010
कुलसचिव

C/C



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
नियुक्ति आदेश

महामहिम कुलाधिपति महोदय के कार्यालय आदेश संख्या 4314(1)/जीएस/बी-3-11/Edu/2015 दिनांक 24 मार्च, 2015 तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11 जुलाई, 2015 की मद संख्या-31 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में डा० सीमा पाण्डे, अमरावती कालौनी, तल्ली बमौरी, हल्द्वानी को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर प्रतीक्षा सूची में क्रमांक एक पर होने के परिणामस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक प्राध्यापक, भौतिक विज्ञान के पद पर वेतनमान 15600-39100-6000एजीपी में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल के भौतिक विज्ञान विभाग में अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है। शिक्षण एवं प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डा० सीमा पाण्डे को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डा० सीमा पाण्डे को सहायक प्राध्यापक भौतिक विज्ञान (अनारक्षित) वर्ग के सापेक्ष अनुमन्य वेतनमान के प्रारंभिक स्तर एवं उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

डा० सीमा पाण्डे को उक्त परिसर में दिनांक 25 अगस्त, 2015 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना विश्वविद्यालय को फैंक्स द्वारा भेजना आवश्यकीय है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा। इस नियुक्ति के सापेक्ष संलग्न अनुबन्ध पत्र (रु० 100.00 नॉन ज्यूडीशियल स्टॉप पेपर में) भरकर एक माह के भीतर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना होगा।


कुलपति

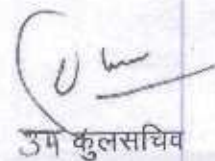
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

पृ०संख्या:मा०/कार्मिक/शै०व्य०/पीईआर/४९१

दिनांक: 25-7-2015

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- डा० सीमा पाण्डे, अमरावती कालौनी, तल्ली बमौरी, हल्द्वानी, नैनीताल।
- 2- विभागाध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग, एस०एस०जे० परिसर, अल्मोड़ा।
- 3- संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 4- परिसर विभागाध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 5- परिसर निदेशक, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 6- वित्त अधिकारी, कु०वि०वि० नैनीताल।
- 7- सहायक लेखाधिकारी, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 8- अभिलेख पत्रावली।


उप कुलसचिव

(30)

91
92
94
95

कुमाँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
कार्यालय आदेश (सशोधन विज्ञप्ति)

विश्वविद्यालय के आदेश पृ०स० मान्यता/शै०व्यव०/1893 दिनांक 28-2-2005 के क्रमांक-3 पर श्री प्रमोद कुमार मिश्रा के स्थान पर टुकण की त्रुटिवश श्री पवन कुमार मिश्रा (महाराजगंज) का नाम टंकित हो गया है। अतः उक्त आदेश दिनांक 28-2-2005 को निम्नवत् सशोधित किया जाता है।

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की सस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28-02-2005 के मद संख्या-20 पर लिए गए निर्णयानुसार निम्नलिखित को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता, भौतिक विज्ञान के पद पर वेतनमान ₹० 8000-275-13500 में कुमाँ विश्वविद्यालय के डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

- 1- डी० आलोक कुमार दुर्गापाल, पुत्र श्री एन्०डी० दुर्गापाल तल्ला गोरखपुर, निकट सावित्री कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)।
- 2- डी० विमल पाण्डे, पुत्र श्री एच०बी० पाण्डे, नन्द भवन, मौ० खोल्टा, अल्मोड़ा।
- 3- श्री प्रमोद कुमार मिश्रा, पुत्र श्री लक्ष्मी शंकर मिश्रा एस०ए० 20/205 ए रूपनपुर (नाटोई) सारनाथ, वाराणसी।
- 4- डी० प्रवीण सिंह नेगी पुत्र श्री बी०एस० नेगी, गंगा सदन, सुदर्शन होटल कम्पाउण्ड, नैनीताल।

उपर्युक्त चयनित प्रवक्ताओं को प्रवक्ता वेतनमान (₹० 8000-13500) में ₹० 8000/- प्रारम्भिक वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक हित में उपर्युक्त चयनित प्रवक्ताओं को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

उक्त प्रवक्ताओं को अपने पद का कार्यभार दिनांक 31 मार्च, 2005 तक ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

7/4/11
कुलपति
कुमाँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
दिनांक 3 मार्च, 2005

पृ०स०मान्यता/शै०व्यव०/1911

- प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
- 1- उपर्युक्त चयनित प्रवक्ता।
 - 2- विभागाध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
 - 3- समन्वयक अधिष्ठाता, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
 - 4- संकायाध्यक्ष/परिसर संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय, एस०एस०जीना परिसर, अल्मोड़ा/डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
 - 5- वित्त अधिकारी, कु०वि०वि०, नैनीताल।
 - 6- सहायक लेखाधिकारी, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
 - 7- अभिलेख/व्यक्तिगत पत्रावली।

(सुरेश चन्द्र जोशी)
कुलसचिव 3/3/05



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.11.2010 के मद्र संख्या 10/26 पर लिये गये निर्णयानुसार श्री गिरीश चन्द्रा, रूम नं० 115, शास्त्री भवन, जी० बी० पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुसूचित जाति) भौतिक विज्ञान के पद पर वेतन बैंड 3 वेतनमान 15600 39100 - 60000 प० जी० बी० में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

श्री चन्द्रा को असिस्टेंट प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान के पद पर उक्त वेतनमान का प्रारम्भिक स्तर तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में श्री चन्द्रा को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

श्री चन्द्रा को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा। अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु श्री चन्द्रा को कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

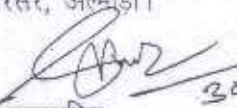

कुलपति

पृ० सं० - मान्यता/शै०व्य०/ 1468 (2)

दिनांक 30.11.2010

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री गिरीश चन्द्रा, रूम नं० 115, शास्त्री भवन, जी० बी० पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर।
2. विभागाध्यक्ष/परिसर विभागाध्यक्ष, भौतिकी विभाग, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
3. संकायाध्यक्ष/परिसर संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
4. परिसर निदेशक, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
5. वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. सहायक लेखाधिकारी, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
7. अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।


कुलसचिव 30/11/2010

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)



KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 मई, 2013 के मद संख्या 03 पर लिये गये निर्णयानुसार श्री राजकुमार पुत्र श्री धनी राम को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक प्राध्यापक (भौतिक) के पद पर वेतनमान रु० 15600-39100+6000 ए०जी०पी में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल में भौतिक विभाग में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। शिक्षण एवं प्रशासनिक व्यवस्था के हित में श्री राजकुमार को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

श्री राजकुमार को सहायक प्राध्यापक, भौतिक विज्ञान (अनुसूचित जाति) पद के सापेक्ष अनुमन्य वेतनमान के प्रारंभिक स्तर एवं उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

श्री राजकुमार को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 मई, 2013 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

उक्त नियुक्ति के सापेक्ष सलग्न अनुबन्ध पत्र (रु० 100.00 नॉन ज्यूडीशियल स्टॉप पेपर में) भरकर एक माह के भीतर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना होगा।

इस पद पर नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या-3077 ऑफ 2012 एवं संख्या-2645 ऑफ 2012 के अधीन इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अन्यथा निर्णय लिया जाता है, तो वह उन्हें मान्य होगा।

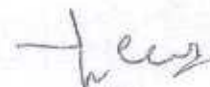
कुलपति
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

पू०सं०-मा०/कार्मिक/शै०व्य०/पीईआर/157

दिनांक: 1-5-2013.

प्रतिलिपि-

- 1- श्री राजकुमार ग्राम-सेराघाट (बसेरा) पो०ओ० भैरियाछाना, जिला अल्मोड़ा।
- 2- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
- 3- संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय।
- 4- परिसर निदेशक।
- 5- वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
- 6- सहायक लेखाधिकारी।
- 7- अभिलेख पत्रावली।


कुलसचिव

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम की 1973 की धारा-31(4)(ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22-12-2007 के मद संख्या-8 के अन्तर्गत लिये गये निर्णयानुसार डा० मधुरेन्द्र कुमार, एम०डी०ए० कालौनी, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आचार्य, राजनीति शास्त्र विभाग के पद पर वेतनमान रु० 16400-450-500-22400 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डा० कुमार आचार्य, राजनीतिशास्त्र के पद पर उक्त वेतनमान में रु० 16400 वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डा० कुमार को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

डा० कुमार को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 22-1-2008 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डा० कुमार को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

(सी०पी० बर्थवाल)
कुलपति

पृष्ठांकन मान्यता/पीईआर/1338

दिनांक: 22-12-2007

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- डा० मधुरेन्द्र कुमार, एम०डी०ए० कालौनी, मुरादाबाद (उ०प्र०)
- 2- विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र विभाग, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 3- समन्वयक अधिष्ठाता डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 4- सहायक, कला सहाय, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 5- वित्त अधिकारी, कु०वि०वि० नैनीताल।
- 6- सहायक लेखाधिकारी, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 7- अभिलेख पत्रावली।

(बी०सी० जोशी)
कुलसचिव

उपा०/-

100

(99)

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल
कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की सस्तुति तथा विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 31 जुलाई, 1999 के मद सख्या 17 पर लिये गये निर्णयानुसार डा० नीता बोरा, 6, मेवेला कम्पाउण्ड तल्लीताल, नैनीताल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उपाचार्य, राजनीतिशास्त्र के पद पर वेतनमान रु० 12000-450-18300 में विश्वविद्यालय डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डा० नीता बोरा, उपाचार्य राजनीतिशास्त्र के पद पर वेतनमान रु० 12000/-प्रारम्भिक वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डा० बोरा को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डा० बोरा को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 21-8-1999 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डा० नीता बोरा को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

आज्ञा से,

रु०/-

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

पृ०स० मान्यता/नियुक्ति/552

दिनांक 31-7-99

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- डा० नीता बोरा, 6, मेवेला कम्पाउण्ड, तल्लीताल, नैनीताल।
- 2- अधिष्ठाता छात्र कल्याण, कु०वि०वि० (डी०एस०बी० परिसर) नैनीताल / (अल्मोड़ा परिसर) अल्मोड़ा।
- 3- सहायक अध्यापक कला/विज्ञान/वाणिज्य/शिक्षा/विधि सहाय, कु०वि०वि० नैनीताल।
- 4- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
- 5- वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
- 6- सहायक लेखाधिकारी, कु०वि०वि० परिसर नैनीताल/अल्मोड़ा।
- 7- अभिलेख पत्रावली।

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

100
72

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
नियुक्ति/विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31(4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29-6-2004 के मद संख्या-10 पर लिए गए निर्णयानुसार कु० कल्पना द्वारा श्री जी०आर० भगवती प्रसाद, कलक्टरगंज, शाहगंज, जौनपुर (उ०प्र०) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता राजनीतिशास्त्र के पद पर वेतनमान रु० 8000-275-13500 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के सोबनसिंह जीना परिसर, अल्मोड़ा में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

कु० कल्पना को प्रवक्ता राजनीतिशास्त्र के पद पर उक्त वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन रु० 8000/- तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में कु० कल्पना को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

कु० कल्पना को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 जुलाई, 2004 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कु० कल्पना को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

कुलपति
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

दिनांक 6 जुलाई, 2004

पृ०सं०मान्यता/शै०व्यव०/ 516

- प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :
- 1- कु० कल्पना द्वारा श्री जी०आर० भगवती प्रसाद, कलक्टरगंज, शाहगंज, जौनपुर (उ०प्र०)।
 - 2- विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र विभाग, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
 - 3- परिसर विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र विभाग, सोबनसिंह जीना परिसर, अल्मोड़ा।
 - 4- परिसर संकायाध्यक्ष, कला संकाय, सोबनसिंह जीना परिसर, अल्मोड़ा।
 - 5- समन्वयक अधिष्ठाता, सोबनसिंह जीना परिसर, अल्मोड़ा।
 - 6- वित्त अधिकारी, कु०वि०, नैनीताल।
 - 7- सहायक लेखाधिकारी, सोबनसिंह जीना परिसर, अल्मोड़ा।
 - 8- अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।


(सुरेश चन्द्र जोशी)
कुलसचिव

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 §4 §ए के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 31 जुलाई, 1999 के मद्र संख्या 17 पर लिये गये निर्णयानुसार डा0 ज्या तिवारी - उपाधि महाविद्यालय, पीलीभीत को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता §संस्कृत के पद पर वेतनमान 8000-275-13500 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी0एस0बी0 परिसर नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डा0 तिवारी को प्रवक्ता के पद पर वेतनमान रु0 8000/- प्रारम्भिक वेतन तथा उस पर अनुमान्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डा0 तिवारी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डा0 तिवारी को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 21-8-99 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डा0 तिवारी को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

आज्ञा से

ह0/

कुलपति,

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

पृ0 सं0 मान्यता/नियुक्ति/ 567

दिनांक 2-8-99

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. डा0 ज्या तिवारी, उपाधि महाविद्यालय, पीलीभीत।
2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, कु0 वि0 वि0 §डी0एस0बी0 परिसर§ नैनीताल/
§अल्मोड़ा परिसर§ अल्मोड़ा।
3. संकायाध्यक्ष कला/विज्ञान/वाणिज्य/शिक्षा/वैद्यिक संकाय, कु0 वि0 वि0 परिसर
नैनीताल।
4. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
5. वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. सहायक लेखाधिकारी, कु0 वि0 वि0 परिसर नैनीताल/अल्मोड़ा।
7. अभिलेख पत्रावली।

कुलसचिव

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

36

102

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिपत्र की दैतिक दिनांक 30.11.2010 के मद संख्या 10/26 पर लिये गये निर्णयानुसार डॉ० (श्रीमती) लज्जा भट्ट, शीतलादेवी मन्दिर, हनुमानगढ़ी, तल्लीताल, नैनीताल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से असिस्टेंट प्रोफेसर (सामान्य) संस्कृत के पद पर वेतन बैंड 3, वेतनमान 15600-39100 + 6000 ए० जी० पी० में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डॉ० भट्ट को असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत के पद पर उक्त वेतनमान का प्रारम्भिक स्तर तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डॉ० भट्ट को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

डॉ० भट्ट को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा। अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ० भट्ट को कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

कुलपति

पृ० सं० - मान्यता/शै०व्य०/ 1468 (11)

दिनांक: 30.11.2010

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. डॉ० (श्रीमती) लज्जा भट्ट, शीतलादेवी मन्दिर, हनुमानगढ़ी, तल्लीताल, नैनीताल।
2. विभागाध्यक्ष/परिसर विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
3. संकायाध्यक्ष/परिसर संकायाध्यक्ष, कला संकाय, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
4. परिसर निदेशक, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
5. विन्न अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल।
6. सहायक लेखाधिकारी, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
7. अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।

कुलसचिव 30/11/2010

Received

30/11/10



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.11.2010 के मद संख्या 10/26 पर लिये गये निर्णयानुसार डॉ० (श्रीमती) नीता आर्या, पुत्री श्री नारायण राम आर्या, जाखनी, पो० आँ० बिन, जिला -पिथौरागढ़ को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुसूचित जाति) संस्कृत के पद पर वेतन बैंड 3, वेतनमान 15600-39100 + 6000 ए० जी० पी० में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डॉ० आर्या को असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत के पद पर उक्त वेतनमान का प्रारम्भिक स्तर तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डॉ० आर्या को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डॉ० आर्या को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ० आर्या को कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

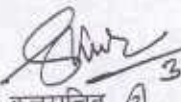

कुलपति

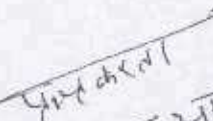
प्र० सं० - मान्यता/शै०व्य०/1468(10)

दिनांक: 30.11.2010

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. डॉ० (श्रीमती) नीता आर्या, पुत्री श्री नारायण राम आर्या, जाखनी, पो० आँ० बिन, जिला -पिथौरागढ़।
2. विभागाध्यक्ष/परिसर विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जी० परिसर, अल्मोड़ा।
3. संकायाध्यक्ष/परिसर संकायाध्यक्ष, कला संकाय, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जी० परिसर, अल्मोड़ा।
4. परिसर निदेशक, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जी० परिसर, अल्मोड़ा।
5. वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. सहायक लेखाधिकारी, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जी० परिसर, अल्मोड़ा।
7. ऑफिस/पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।


कुलसचिव 30/11/2010


नीता आर्या

96

नीता -

कुमाँऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल ।

पत्रांक-मान्यता/पी०एफ०/

दिनांक: 18/4/94

विशेष/आदेश

विश्वविद्यालय की नियुक्ति/विशेष संस्था मान्यता/1259, दिनांक 28-12-93 के क्रम में डा० [कु०] इन्दु पाठक, प्रवक्ता समाजशास्त्र विभाग, डी० एस०बी० परिसर, नैनीताल का वेतन, गणन समिति की संशुद्धि तथा कार्य परिपक्व के अनुमोदन से रु० 2200-75-2800-100-4000 के वेतनमान में पाँच अग्रिम वेतन वृद्धियाँ स्वीकृत करते हुए रु० 2575/- (दो हजार पाँच सौ पचाहत्तर रुपये मात्र) में नियोजित किया जाता है। यह वेतन डा० [कु०] पाठक को उनके द्वारा कार्य भार ग्रहण तिथि दिनांक 8-1-1994 से देय होगा।

आज्ञा है,
कुलपति,
कुमाँऊ विश्वविद्यालय

पत्रांक-मान्यता/पी०एफ०/ 53

तद दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- डा० [कु०] इन्दु पाठक, प्रवक्ता समाजशास्त्र विभाग, डी० एस०बी० परिसर, नैनीताल ।
- 2- सहायक कुलपति, डा० एस०बी० परिसर, नैनीताल ।
- 3- परिसर निदेशक, डी० एस०बी० परिसर, नैनीताल ।
- 4- वित्त अधिकारी, कुमाँऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल ।
- 5- सहायक लेखाधिकारी, डी० एस०बी० परिसर, नैनीताल ।

समस्त डा० [कु०]
कुलपति

समाप्त/

7C

20
106

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल
कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की सन्तुति तथा विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 31 जुलाई, 1999 के मद संख्या 17 पर लिये गये निर्णयानुसार डा० (श्रीमती) ज्योति जोशी, जीवन ज्योति सिविल लाईन्स बरेली को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता समाजशास्त्र के पद पर वेतनमान 8000-275-13500 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डा० (श्रीमती) ज्योति को प्रवक्ता समाजशास्त्र के पद पर वेतनमान रु० 8000/- प्रारम्भिक वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डा० (श्रीमती) जोशी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी। डा० (श्रीमती) जोशी को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 21-8-1999 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डा० (श्रीमती) जोशी को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

आज्ञा सं.

ह०/-

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

पू०स० मान्यता/नियुक्ति/551

दिनांक 31.7.99

- प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 1- डा० (श्रीमती) ज्योति जोशी, जीवन ज्योति सिविल लाईन्स, बरेली।
 - 2- अधिष्ठाता छात्र कल्याण, कु०वि०वि (डी०एस०बी० परिसर) नैनीताल/(अल्मोड़ा परिसर) अल्मोड़ा।
 - 3- सहायक कला/विज्ञान/वाणिज्य/शिक्षा/विधे सहाय, कु०वि०वि नैनीताल।
 - 4- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
 - 5- वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
 - 6- सहायक लेखाधिकारी, कु०वि०वि परिसर नैनीताल/अल्मोड़ा।
 - 7- अभिलेख पत्रावली।


कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)



KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 मई, 2013 के मद संख्या 03 पर लिये गये निर्णयानुसार डा० अर्चना श्रीवास्तव पुत्री श्री एस०एन० श्रीवास्तव को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सह प्राध्यापक (समाजशास्त्र) के पद पर वेतनमान 37400-67000+9000 ए०जी०पी में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल में ~~शिक्षा विभाग~~ ^{समन्वय विभाग} में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। शिक्षण एवं प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डा० श्रीवास्तव को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

डा० श्रीवास्तव को सह प्राध्यापक, समाजशास्त्र (अनारक्षित) पद के सापेक्ष अनुमन्य वेतनमान के प्रारंभिक स्तर एवं उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

डा० श्रीवास्तव को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 मई, 2013 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

उक्त नियुक्ति के सापेक्ष सलग्न अनुबन्ध पत्र (रु० 100.00 नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर में) भरकर एक माह के भीतर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना होगा।

इस पद पर नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या-3077 ऑफ 2012 एवं संख्या-2645 ऑफ 2012 के अधीन इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अन्यथा निर्णय लिया जाता है, तो वह उन्हें मान्य होगा।

कुलपति
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

पृ०सं०-मा०/कार्मिक/शै०व्य०/पीईआर/156

दिनांक: 01/05/2013

प्रतिलिपि-

- 1- डा० अर्चना श्रीवास्तव पुत्री -श्री एस०एन० श्रीवास्तव, कांचीपुरा आगरा कैंप्ट, आगरा-282001
- 2- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
- 3- संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय।
- 4- परिसर निदेशक।
- 5- वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
- 6- सहायक लेखाधिकारी।
- 7- अभिलेख पत्रावली।

कुलसचिव

20 20
100

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम को 1973 की धारा 31(4)(ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की सन्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29-11-2005 के मद संख्या-22 पर लिए गए निर्णयानुसार डॉ० प्रियंका उम्रेती, द्वारा श्रीमती उमा उम्रेती, मोहल्ला- कपिना (जाखन देवी) अल्मोड़ा (उत्तरांचल) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता, समाजशास्त्र के पद पर वेतनमान रु० 8000-275-13500 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के एस०एस०जीना परिसर, अल्मोड़ा में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डॉ० प्रियंका उम्रेती को प्रवक्ता समाजशास्त्र के पद पर उक्त वेतनमान में रु० 8000/- प्रारम्भिक वेतन तथा उस पर अनुसूच्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डॉ० उम्रेती को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्णरूप से लागू होंगी।

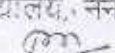
डॉ० उम्रेती को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31-12-2005 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ० उम्रेती को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

80/-
(आर०सी० पत्र)
कुलपति

एस०मान्यता/पीईआर/1802

दिनांक 01-12-2005.

- प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :
- 1- डॉ० प्रियंका उम्रेती, द्वारा उमा उम्रेती, मोहल्ला- कपिना (जाखन देवी) अल्मोड़ा (उत्तरांचल)
 - 2- विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
 - 3- समन्वयक अधिष्ठाता, एस०एस०जीना परिसर, अल्मोड़ा।
 - 4- सहायक कला सहाय, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
 - 5- परिसर विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, एस०एस०जीना परिसर, अल्मोड़ा।
 - 6- वित्त अधिकारी, कु०वि०वि०, नैनीताल।
 - 7- सहायक लेखाधिकारी, एस०एस०जीना परिसर, अल्मोड़ा।


कुलसचिव
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।


ole.

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल ।
नियमित/नियमित

विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 31(4)(ए) के अन्तर्गत
नियमित पदों पर नियुक्ति तथा विश्वविद्यालय कार्यकारी बोर्ड की बैठक
दिनांक 28-12-1993 के मसं संख्या-25 के आधार पर डा० अजय शर्मा,
पैठ पड़ुवा, रामनगर, जिला, नैनीताल को कार्यकारी गृहण करने की तिथि से
पुनर्स्था, वर्कशन के पद पर वेतनमान रु० 2200-75-2800-180-4000 में कुमाऊँ
विश्वविद्यालय के डी०एस०बी० परिसर, संघटक महाविद्यालय, नैनीताल में
अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है । पुनर्स्था पदों पर नियुक्ति हेतु
गो० धारा 31 के माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखल की है । अतः
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका पर वाद में लिया जाने वाला निर्णय
इस नियुक्ति पर पूर्ण रूप से लागू होगा ।

डा० शर्मा को पुनर्स्था के पद पर वेतनमान रु० 2200/- प्रारम्भिक
वेतन तथा उन पर अनुमान्य भत्ते देय होंगे ।

प्रमाण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डा० शर्मा को विश्वविद्यालय
के किसी भी संघटक महाविद्यालय में स्थानान्तरित किया जा सकता है ।
विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली
शर्तों को उन पर पूर्ण रूप से लागू होगा ।

डा० शर्मा को उक्त संघटक महाविद्यालय में नियुक्त पद पर दिनांक
12-1-94 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा । इन्कला नियुक्ति निरस्त की जा
सकती है । नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार द्वारा विश्वविद्यालय
को देनी आवश्यक है ।

इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डा० शर्मा को कोई भ्रम
लक्ष्य इत्यादि देय नहीं होगा ।

डा० अजय शर्मा-
समयसी० जोशी
कुमाँ

पू०सं०-मान्यता/नि०वि०/1253

दिनांक 28 दिसम्बर, 93

प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1- डा० अजय शर्मा, पैठ पड़ुवा, रामनगर (नैनीताल) ।
- 2- संकायाध्यक्ष, डा० एस०बी० परिसर, नैनीताल ।
- 3- निदेशक, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल ।
- 4- प्रिन्सिपल अधिकारी ।
- 5- सह निदेशक, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल ।
- 6- अनिलेश पत्रावली ।
- 7- व्यवस्थापक पत्रावली ।

ved one copy
dear

28/12/93

रत. रत. रत. रत.

सि.म. अ. 11
कुमाँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल ।

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4)(ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक: 04 मार्च, 2006 के मद संख्या-7 पर लिये गये निर्णयानुसार डा0 अशोक कुमार, सेंटर फॉर माउण्टेन टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटैलिटी स्टडीज, पो0बॉक्स- 33, एच0एन0बी0 गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, गढ़वाल, (उत्तरांचल) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता पर्यटन के पद पर वेतनमान रू0 8,000-275-13500 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल में अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है।

डा0 अशोक कुमार को प्रवक्ता पर्यटन के पद पर उक्त वेतनमान में रू0 8,000/- प्रारम्भिक वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक हित में डा0 अशोक कुमार को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डा0 अशोक कुमार को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक: 31 मई, 2006 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डा0 अशोक कुमार को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संलग्न शर्तों के अनुसार एग्रीमेंट करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षर/-

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

पृ0सं0: मान्यता/शै0व्य0/2545

दिनांक: 27-03-2006.

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. डा0 अशोक कुमार, सेंटर फॉर माउण्टेन टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटैलिटी स्टडीज, पो0बॉक्स- 33, एच0एन0बी0 गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तरांचल
2. विभागाध्यक्ष, पर्यटन विभाग, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल।
3. संकायाध्यक्ष कला संकाय, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल।
4. समन्वयक अधिष्ठाता, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल।
5. वित्त अधिकारी, कु0वि0वि0, नैनीताल।
6. सहा0 लेखाधिकारी, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल।
7. अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।

(एस0सी0 जोशी)
कुलसचिव, 25/3/06

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल
कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की सस्तुति तथा विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 31 जुलाई, 1999 के मद संख्या 17 पर लिये गये निर्णयानुसार डा० हरीशचन्द्र सिंह बिष्ट कालेज, आफ फिसरीज साइन्स जी०बी०पत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पतनगर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता जन्तुविज्ञान के पद पर वेतनमान रू० 8000-275-13500 में विश्वविद्यालय जी०एस०बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डा० बिष्ट प्रवक्ता जन्तुविज्ञान के पद पर वेतनमान रू० 8000/- प्रारम्भिक वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डा० बिष्ट को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डा० बिष्ट को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 21-8-1999 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डा० बिष्ट को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

आज्ञा से,

रू०/-

कुलपति,

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

पृ०स० मान्यता/नियुक्ति/ 553

दिनांक 31.7.99

- प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 1- डा० हरीशचन्द्र सिंह बिष्ट, कालेज आफ फिसरीज साइन्स जी०बी०पत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पतनगर।
 - 2- अधिष्ठाता छात्र कल्याण, कु०वि०वि० (जी०एस०बी० परिसर) नैनीताल / (अल्मोड़ा परिसर) अल्मोड़ा।
 - 3- सहायक कुलपति विज्ञान/वाणिज्य/शिक्षा/विधि सहाय, कु०वि०वि० नैनीताल।
 - 4- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
 - 5- वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
 - 6- सहायक लेखाधिकारी, कु०वि०वि० परिसर नैनीताल/अल्मोड़ा।
 - 7- अभिलेख पत्रावली।

कुलसचिव,

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

112



KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1873 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की सार्वजनिक तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 मई, 2013 के मद्द संख्या 03 पर लिये गये निर्णयानुसार डा० सतपाल सिंह बिष्ट पुत्र श्री आर०एस० बिष्ट को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्राध्यापक (जन्तु विज्ञान) के पद पर वेतनमान 37400-67000+10000 ए०सी०पी में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी०एस०सी० परिसर, नैनीताल में जन्तु विज्ञान विभाग में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। शिक्षण एवं प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डा० बिष्ट को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में विहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डा० बिष्ट को प्राध्यापक, जन्तु विज्ञान (अनारक्षित पद के सापेक्ष अनुमन्य वेतनमान के प्रारम्भिक स्तर एवं उस पर अनुमन्य फल्टे देय होंगे।

डा० बिष्ट को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 मई, 2013 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

उक्त नियुक्ति के सापेक्ष सलग्न अनुबन्ध पत्र (रु० 100.00 नॉन व्युटीशियल स्टाफ पैपर में) भरकर एक माह के भीतर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना होगा।

इस पद पर नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या-3077 ऑफ 2012 एवं संख्या-2645 ऑफ 2012 के अधीन इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अन्यथा निर्णय लिया जाता है, तो वह उन्हें मान्य होगा।

हस्ताक्षर

कुलपति
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

पृ०स०-मा०/कार्मिक/सी०आ०/पी०आर/157

दिनांक: 1-5-2013.

प्रतिलिपि-

- 1- डा० सतपाल सिंह बिष्ट, प्रो० एवं विभागाध्यक्ष, बायोटेक्नोलॉजी विभाग, इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मोस्यूटिकल साइन्सेज, वेहरामपुर-10 गजम (उड़ीसा)
- 2- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
- 3- संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय।
- 4- परिसर निदेशक।
- 5- वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
- 6- सहायक लेखाधिकारी।
- 7- अभिलेख पत्रावली।

1
कुलसचिव

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

113

नियुक्ति/विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 को धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 26.07.2008 के मद संख्या 07 पर लिये गये निर्णयानुसार डॉ० मनोज कुमार आर्या, द्वारा श्री विनोद कुमार स्नो डोन कॉटेज, बारा पत्थर के पास, आचार्य पाटा, मल्लीताल, नैनीताल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता, जन्तु विज्ञान (अनुसूचित जाति) के पद पर वेतनमान रु० 8000-275-13500 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा में आस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डॉ० मनोज कुमार आर्या को प्रवक्ता, जन्तु विज्ञान (अनुसूचित जाति) के पद पर उक्त वेतनमान में वेतन संरक्षण तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डॉ० मनोज कुमार आर्या को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिणियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डॉ० मनोज कुमार आर्या को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 27 अगस्त, 2008 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ० मनोज कुमार आर्या को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

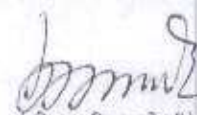
हस्ता/- कुलपति
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

पृ० सं० - मान्यता/शै०व्य०/517

दिनांक: 26-07-2008

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. डॉ० मनोज कुमार आर्या, द्वारा श्री विनोद कुमार स्नो डोन कॉटेज, बारा पत्थर के पास, आचार्य पाटा, मल्लीताल, नैनीताल।
2. विभागाध्यक्ष, जन्तु विज्ञान विभाग, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
3. समन्वयक अफिषाता, एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
4. संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
5. वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. सहायक लेखाधिकारी, एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
7. अभिलेख सहायकी/व्यक्तिगत सहायकी।


(बी० सी० जोशी)
कुलसचिव

o/c

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

28

114

नियुक्ति/विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 26.07.2008 के मद संख्या 07 पर लिये गये निर्णयानुसार डॉ० (श्रीमती) दीपिका गोस्वामी, परदेसी गैस्ट हाउस, मन्दिर मार्ग, भीमताल, नैनीताल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता जन्तु विज्ञान (अन्य पिछड़ा वर्ग) के पद पर वेतनमान रु० 8000-275-13500 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डा० (श्रीमती) दीपिका गोस्वामी को प्रवक्ता जन्तु विज्ञान (अन्य पिछड़ा वर्ग) के पद पर उक्त वेतनमान में वेतन संरक्षण तथा उस पर अनुमन्त्र भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डा० (श्रीमती) दीपिका गोस्वामी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डा० (श्रीमती) दीपिका गोस्वामी को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 27 अगस्त, 2008 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डा० (श्रीमती) दीपिका गोस्वामी को कोई मार्ग व्यय भत्ता देय नहीं होगा।

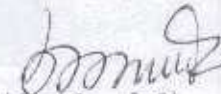
हस्ता/- कुलपति
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

पृ० सं० - मान्यता/शै०व्य०/ 518

दिनांक: 26-07-2008.

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. डॉ० (श्रीमती) दीपिका गोस्वामी, परदेसी गैस्ट हाउस, मन्दिर मार्ग, भीमताल, नैनीताल।
2. विभागाध्यक्ष, जन्तु विज्ञान विभाग, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
3. समन्वयक अतिथिता, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
4. संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
5. परिसर संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
6. वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
7. सहायक लेखाधिकारी, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
8. अभिलेख प्रशासकी/व्यक्तिगत प्रशासकी।


(डी० सी० जोशी)
कुलसचिव

c/c

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

115



KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 मई, 2013 के मद संख्या 03 पर लिये गये निर्णयानुसार डा० हिमांशु पाण्डे लोहनी पुत्री श्री पी० पाण्डे को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक प्राध्यापक (जन्तु विज्ञान) के पद पर वेतनमान रु० 15600-39100+6000 ए०जी०पी० में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल के जन्तु विज्ञान विज्ञान विभाग में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। शिक्षण एवं प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डा० लोहनी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

डा० लोहनी को सहायक प्राध्यापक, जन्तु विज्ञान (अनारक्षित) पद के सापेक्ष अनुमन्य वेतनमान के प्रारंभिक स्तर एवं उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

डा० लोहनी को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 मई, 2013 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

उक्त नियुक्ति के सापेक्ष सलग्न अनुबन्ध पत्र (रु० 100.00 नॉन ज्यूडीशियल स्टॉप पेपर में) भरकर एक माह के भीतर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना होगा।

इस पद पर नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या-3077 ऑफ 2012 एवं संख्या-2645 ऑफ 2012 के अधीन तत्स प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अन्यथा निर्णय लिया जाता है, तो वह उन्हें मान्य होगा।

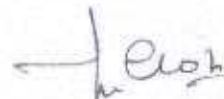
कुलपति
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

पू०सं०-मा०/कार्मिक/सौ०व्य०/पीईआर/157

दिनांक: 1-5-2013

प्रतिलिपि-

- 1- डा० हिमांशु पाण्डे लोहनी, हाउस नं० 636/1 तुलसी नगर-1। हाइडिल गेट, काठगोदाम।
- 2- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
- 3- संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय।
- 4- परिसर निदेशक।
- 5- वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
- 6- सहायक लेखाधिकारी।
- 7- अभिलेख पत्रावली।


कुलसचिव

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)



KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 मई, 2013 के मद संख्या 03 पर लिये गये निर्णयानुसार डा० दीपक कुमार आर्या पुत्री श्री जी०पी० आर्या को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक प्राध्यापक (जन्तु विज्ञान) के पद पर वेतनमान रु० 15600-39100+6000 ए०जी०पी० में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल के जन्तु विज्ञान विज्ञान विभाग में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। शिक्षण एवं प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डा० दीपक कुमार आर्या को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

डा० दीपक कुमार को सहायक प्राध्यापक, जन्तु विज्ञान (अनुसूचित जाति) के सापेक्ष अनुमन्य वेतनमान के प्रारम्भिक स्तर एवं उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

डा० दीपक कुमार आर्या को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 मई, 2013 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

उक्त नियुक्ति के सापेक्ष सलग्न अनुबन्ध पत्र (रु० 100.00 नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर में) भरकर एक माह के भीतर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना होगा।

इस पद पर नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या-3077 ऑफ 2012 एवं संख्या-2645 ऑफ 2012 के अधीन इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अन्यथा निर्णय लिया जाता है, तो वह उन्हें मान्य होगा।

कुलपति
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

पृ०सं०-मा०/कार्मिक/शै०व्य०/पीईआर/157

दिनांक: 1-5-2013

प्रतिलिपि-

- 1- डा० दीपक कुमार आर्या, रूम नं० 358 डेलम हास्टल, जे०एन०यू० नई दिल्ली।
- 2- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
- 3- संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय।
- 4- परिसर निदेशक।
- 5- विज्ञा अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
- 6- सहायक लेखाधिकारी।
- 7- अभिलेख पत्रावली।

कुलसचिव

Received
Rupkumar
01-05-2013

पत्रांक: सा0/पीईआर/इन्फ. साई. /674/98/ 166

दिनांक: 15/5/02

कार्यालय आदेश/नियुक्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से इन्फलीवेंट योजनान्तर्गत कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के केन्द्रीय पुस्तकालय हेतु वेतनमान रु0 2200-75-2800 द0र0-100-4000 {पी रिवाइज्ड} नौन सेक्शनल एकेडेमिक स्टैटस में स्वीकृत इन्फरमेशन साइंटिस्ट पद हेतु अवकाश कालीन व्यवस्था अथवा यू.जी.सी. सहायतित अवधि दि0 2.6.2004 तक जो भी पहले हो की अवधि के लिए उपरोक्त पद को भरे जाने सम्बन्ध में गठित चयन समिति की बैठक दि0 26.4.2002 की संस्तुतियों के आधार पर श्री युगल चन्द्र जोशी पुत्र श्री रघु. एन. जोशी को इन्फरमेशन साइंटिस्ट पद पर वेतनमान रु0 2200-4000 दि0 1.1.96 से पुनरीक्षित वेतनमान रु0 8000-275-13500 के पारंपरिक वेतन रु0 8000/- प्रतिमाह में उत्तरांचल शासन से सीधी भर्ती हेतु प्राप्त आरक्षण रोलस्टर के अन्तर्गत अनररहित वर्ग में पद का कार्यभार गृह्य किए जाने की तिथि से नितान्त अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है ।

उपरोक्त नियुक्ति नितान्त अस्थाई है तथा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है ।

उपरोक्त पद पर पदधारक को मूल वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय पर विश्वविद्यालय हेतु स्वीकृत महंगाई भत्ता/अन्य भत्ते भी नियमानुसार देय होंगे ।

उपरोक्त पद पर कार्यभार गृह्य करने संबंध में सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है कि नियुक्त पद पर इस आदेश के जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर पद का कार्यभार निम्नलिखित वांछित प्रमाण पत्रों के साथ गृह्य कर लें। कार्यभार गृह्य किए जाने सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता {मार्ग व्यय} देय न होगा तथा निर्धारित अवधि के भीतर वांछित प्रमाण पत्रों के साथ कार्यभार गृह्य न करने की दशा में यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा । वांछित प्रमाण पत्रों के अभाव में {उपस्थिति} कार्यभार गृह्य सूचना स्वीकार्य न होगी ।

1. पद के सम्बन्ध में विज्ञापित शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र ।
2. जन्मतिथि प्रमाण पत्र ।
3. जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र ।
4. उत्तरांचल का मूल निवासी होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र { परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार द्वारा प्रदत्त } ।
5. मूलनिवास के जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र ।
6. चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र ।
7. विवाहित/अविवाहित/एक/दो पत्नी होने सम्बन्धी घोषणा पत्र ।

क्रमशः... 2...

उपरोक्त आदेश कुलपति जी के अनुमोदन दिनांक 8.5.2002 के उपरान्त विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में निर्गत किया जा रहा है।

११ राजकुमार
कुलसचिव

पु0सं0: सा0/पीईआर/इन्फ. साइन्स/674/98/166 दिनांक 10/5/02

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पंजीकृत-

1. श्री युगल चन्द्र जोशी पुत्र स्व0 श्री एच0एम0 जोशी द्वारा- बिष्ट भवन, मेहरोत्रा मेज चिकित्सालय के पीछे नवाबी रोड हल्दानी पिन-263139 को उपरोक्त आदेश के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिलाधिकारी, जनपद नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
4. वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल को इस आशय के साथ कि उपरोक्त पद का व्ययभार इन्प्लीमेंट कार्यक्रम हेतु/वित्त मन्त्रों हेतु यू.जी.सी. से स्वीकृत अनुदान की मद से वहन किए जाने तथा धनराशि की मांग यू.जी.सी. से किए जाने सम्बन्ध में प्रेषित।
5. पुस्तकालय प्रभारी केन्द्रीय पुस्तकालय कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल को उक्त योजना से सम्बन्धित अनुदान प्राप्त हेतु उपभोग प्रमाण पत्र वित्त अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करवाये जाने एवं धनराशि की मांग किए जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु।
6. जिला सेवायोजन अधिकारी, नैनीताल एवं हल्दानी को सूचनार्थ।
7. निजी सचिव कुलपति को कुलपति जी के अनुमोदन दि0 8.5.2002 के संदर्भ में सूचनार्थ।
8. विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन स्थित समस्त अनुभाग।
9. नियुक्ति प्रौन्नति पत्रा0भाग-5/गार्ड/पत्रावली/अभिलेख पत्रावली।
10. स्थापना सहायक को उपरोक्त नियुक्ति अनुमोदनार्थ आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में प्रस्तावित किए जाने हेतु।

कुलसचिव 15/5/02

10/5/02



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

नियुक्ति आदेश

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 27/XXIV(6)/2010, दिनांक 24 जून, 2010 एवं गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.02.2011 के मद संख्या 16 पर लिये गये निर्णयानुसार डॉ० अनिल कपूर, सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल में समन्वयक, क्रीड़ा, सांस्कृतिक गतिविधियाँ एवं अन्य शिक्षणेत्तर गतिविधियाँ बढ़ाने हेतु पूर्णकालिक समन्वयक के पद पर वेतनमान 15600-39100 + 8000 ए० जी० पी० में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

डॉ० कपूर को पूर्णकालिक समन्वयक के पद पर उक्त वेतनमान का प्रारम्भिक स्तर तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में डॉ० कपूर को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगी।

डॉ० कपूर को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 26 फरवरी, 2011 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरन्त तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ० कपूर को कोई रात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा। 28 फरवरी, 2011 के पश्चात् शासन की अनुमति के द्वारा ही उनके कार्यकाल में वृद्धि की जायेगी।


कुलपति

पृ० सं० - मान्यता/शै०व्य०/ 2082

दिनांक: 19-02-2011

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. डॉ० अनिल कपूर, सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल।
2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
3. संकायाध्यक्ष/परिसर संकायाध्यक्ष, समस्त संकाय, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
4. परिसर निदेशक, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
5. शिक्षा अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. सहायक लेखाधिकारी, डी० एस० बी० परिसर, नैनीताल/एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।
7. अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।



कुलसचिव

38

120

Kumaun University, Nainital.

Office Order(Appointment)

No.UGC/ASC/2007

Dated: 8.9.2007

On the basis of the recommendation of the Selection Committee, constituted as per UGC guidelines, and approved by the Academic Advisory Committee of the UGC-Academic Staff College at its meeting held on 8.9.2007, Dr. Reetesh Sah is hereby appointed as Lecturer in the UGC Academic Staff College, Kumaun University, Nainital in the scale of Rs. 8000-275-13500 with other allowances.

The appointment is subject to the continuation of the post and the UGC Academic Staff College whose present tenure is five years. If, however, the post and the UGC Academic Staff College becomes regular and permanent, Dr. Sah will automatically be absorbed in the post. The date of retirement of the incumbent will be as per University rules.

Services rendered by core staff in the ASC shall be counted for promotion in the University.

As per UGC guidelines same leave rules shall be followed for the staff of the UGC-ASC as are applicable to the non-vacation staff of the University.

If the above terms and conditions are acceptable to Dr. Reetesh Sah he may join as Lecturer in the UGC-ASC at the earliest.

Sd/-

(C.P. Barthwal)
Vice-Chancellor

No.KU/UGC- ASC/2007

of the date

Copy to :

- 1.Dr. Reetesh Sah, Department of History, DSB Campus, Nainital.
- 2.Head, Department of History , DSB Campus, Nainital.
- 3.Finance Officer, Kumaun University, Nainital.
- 4.Assistant Accounts Officer, DSB Campus, Nainital.
- 5.PS to Vice-Chancellor for the kind information of the Vice-Chancellor.
- 6.Personal file.
- 7.Guard File.


(B.C. Joshi)
Registrar

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

नियुक्ति/विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31(4) (ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29-6-2004 के मद संख्या-10 पर लिए गए निर्णयानुसार (श्रीमती) दिव्या उपाध्याय, द्वारा डॉ० रत्ना उ० जोशी, क्षितिज-लौंगभ्यू, तल्लीताल, नैनीताल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता राजनीतिशास्त्र के पद पर वेतनमान रु० 8000-275-13500 में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

(श्रीमती) दिव्या उपाध्याय, को प्रवक्ता राजनीतिशास्त्र के पद पर उक्त वेतनमान में रु० 8000/-वेतन तथा उस पर अनुमन्य भत्ते देय होंगे।

शिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के हित में (श्रीमती) दिव्या उपाध्याय, को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में स्थानान्तरित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित तथा समय-समय पर निहित होने वाली सेवा शर्तें उन पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

(श्रीमती) दिव्या उपाध्याय, को उक्त परिसर में नियुक्त पद पर दिनांक 31 जुलाई, 2004 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना तुरंत तार/फैक्स द्वारा विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने में (श्रीमती) दिव्या उपाध्याय, को कोई मार्ग व्यय इत्यादि देय नहीं होगा।

कुलपति
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

पृ०सं०मान्यता/शै०व्यव०/480

दिनांक 30 जून, 2004

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- (श्रीमती) दिव्या उपाध्याय, द्वारा डॉ० रत्ना उ० जोशी, क्षितिज-लौंगभ्यू, तल्लीताल, नैनीताल।
- 2- विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र विभाग डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 3- समन्वयक अधिष्ठाता, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 4- वित्त अधिकारी, कु०वि०, नैनीताल।
- 5- सहायक लेखाधिकारी, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 6- अभिलेख पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।

(सुरेश चन्द्र जोशी)
कुलसचिव।

Kumaun University, Nainital.

Office Order(Appointment)

No.UGC/ASC/2007

Dated: 8.9.2007

On the basis of the recommendation of the Selection Committee, constituted as per UGC guidelines, and approved by the Academic Advisory Committee of the UGC-Academic Staff College at its meeting held on 8.9.2007, Dr.(Mrs.) Divya Upadhyaya Joshi is hereby appointed as Reader in the UGC- Academic Staff College, Kumaun University, Nainital in the scale of Rs. 12000-375-16500.

The appointment is subject to the continuation of the post and the UGC - Academic Staff College whose present tenure is five years. If, however, the post and the UGC-Academic Staff College becomes regular and permanent, Dr. Upadhyaya Joshi will automatically be absorbed in the post and her lien with the parent department of the University shall end. The date of retirement of the incumbent will be as per University rules.

As per UGC guidelines the UGC-ASC Academic Staff are eligible to participate in all academic activities of the parent Department including teaching, research, consultancy etc, provided that the ASC work does not suffer.

Services rendered by core staff in the ASC shall be counted for promotion in their parent Department.

As per UGC guidelines same leave rules shall be followed for the staff of the UGC-ASC as are applicable to the non-vacation staff of the University.

If the above terms and conditions are acceptable to Dr.(Mrs.) Divya Upadhyaya Joshi she may join as Reader in the UGC-ASC at the earliest.

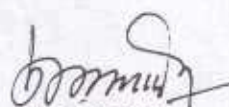
Sd/-
(C.P. Barthwal)
Vice-Chancellor

No.KU/UGC- ASC/2007

of the date

Copy to :

1. Dr.(Mrs.) Divya Upadhyaya Joshi, Department of Political Science, DSB Campus, Nainital.
2. Head, Department of Political Science, DSB Campus, Nainital.
3. Finance Officer, Kumaun University, Nainital.
4. Assistant Accounts Officer, DSB Campus, Nainital.
5. PS to Vice-Chancellor for the kind information of the Vice-Chancellor.
6. Dean Coordinator, DSB Campus, Nainital.
7. Campus Dean, Faculty of Arts, DSB Campus, Nainital.
8. Personal file.
9. Guard File.


(B.C. Joshi)
Registrar

कुमायूँ विश्वविद्यालय, मैमोतान ।

नियुक्ति/विनियोजन



विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 3(14)(ए) के अन्तर्गत
नियुक्ति के लक्ष्यकारी संरक्षित तथा विश्वविद्यालय कार्यकारी बोर्ड की बैठक
दिनांक 17 दिसम्बर, 1984 के अद्य संख्या 2489 के आदेश पर डा० भुवन चाम साह
द्वारा राजनीतिशास्त्र विभाग, उत्तरी संघ राज्य क्षेत्र विश्वविद्यालय, उत्तरी
की नियुक्ति, तथा नियुक्ति के प्रयोजन, राजनीतिशास्त्र के बंद पर दोनो
का 700-40-1100-20-1600 में कुमायूँ विश्वविद्यालय के उत्तरी संघ राज्य क्षेत्र
का विभाग, उत्तरी में उद्योगों के नियुक्ति के लिए जाता है ।

डा० साह को प्रयोजन राजनीतिशास्त्र के बंद पर उद्योग क्षेत्र में
का 700-40 भारतीय के लिए तथा उस पर अनुमति भरो देय होगी ।
प्रिण्ट तथा प्रकाशनिक व्यवस्था के लिए में डा० साह को विश्वविद्यालय
के विभागों में सहायक महाविद्यालय के स्थानान्तरित किया जा सकता है ।
विश्वविद्यालय के विभागों में नियुक्ति सेवा में उन पर पूर्ण खेपा लागू होगी ।
डा० साह को उद्योग सहायक महाविद्यालय में नियुक्ति बंद पर
दिनांक 30-12-1984 के आदेश पर प्रकाश होगा अन्यथा नियुक्ति निरस्त
की जा सकती है ।

यदि नियुक्ति पर न्याय प्रकाश करने हेतु डा० साह को कोई न्याय
प्रकाश पर न्याय देय नहीं होगा ।

प्रमाणित की जा रही है 28/12/84
कुमायूँ

कुमायूँ विश्वविद्यालय/नियुक्ति 13148

दिनांक: 28/12/84

- 1- प्रिण्ट तथा प्रकाशनिक व्यवस्था के लिए में डा० साह को विश्वविद्यालय के विभाग, उत्तरी संघ राज्य क्षेत्र विश्वविद्यालय, उत्तरी संघ राज्य क्षेत्र में उद्योगों के नियुक्ति के लिए जाता है ।
- 2- प्रिण्ट, उत्तरी संघ राज्य क्षेत्र विश्वविद्यालय, उत्तरी संघ राज्य क्षेत्र में उद्योगों के नियुक्ति के लिए जाता है ।
- 3- कुमायूँ विश्वविद्यालय, उत्तरी संघ राज्य क्षेत्र विश्वविद्यालय, उत्तरी संघ राज्य क्षेत्र में उद्योगों के नियुक्ति के लिए जाता है ।
- 4- प्रिण्ट, उत्तरी संघ राज्य क्षेत्र विश्वविद्यालय, उत्तरी संघ राज्य क्षेत्र में उद्योगों के नियुक्ति के लिए जाता है ।
- 5- न्याय प्रकाश, उत्तरी संघ राज्य क्षेत्र विश्वविद्यालय, उत्तरी संघ राज्य क्षेत्र में उद्योगों के नियुक्ति के लिए जाता है ।
- 6- न्याय प्रकाश ।
- 7- न्याय प्रकाश ।

कुमायूँ विश्वविद्यालय
28/12/84
कुमायूँ विश्वविद्यालय

कुमायूँ विश्वविद्यालय